



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277355
CG-DL-E-22102026-277355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 323]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

मामला सं. एडी (एसएसआर)-15/2025

चीन जनवादी गणराज्य से कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक
समीक्षा जांच



विचाराधीन उत्पाद का चित्रात्मक निरूपण

फा. सं. 7/31/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “पाटनरोधी नियमावली” या “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

1. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आवेदक” या “घरेलू उद्योग” कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संबद्ध देश” कहा गया है) से “कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स” (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।
2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 7/31/2025-डीजीटीआर दिनांक 5 मार्च 2026 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की और निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। यह जांच अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अनुसार यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

A. मामले की पृष्ठभूमि

3. मूल पाटनरोधी जांच अधिसूचना सं. 6/8/2020-डीजीटीआर दिनांक 9 मई 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी। तत्पश्चात्, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम फाइल सं. 6/8/2020-डीजीटीआर दिनांक 8 जून 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की, जिसे अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त 2021 के माध्यम से लगाया गया।

4. तत्पश्चात्, आवेदक द्वारा परिवर्तित परिस्थितियों और शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता का अभिकथन करते हुए दायर किए गए आवेदन के आधार पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/17/2022-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2022 के माध्यम से मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने, यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात् कि परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं, अंतिम जांच परिणाम सं. 7/17/2022-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2023 के माध्यम से शुल्क में वृद्धि की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 13/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 नवंबर 2023 के माध्यम से मूल जांच में लगाए गए पाटनरोधी उपायों में संशोधन को लागू किया। पाटनरोधी शुल्क 25 अगस्त 2026 तक प्रभावी था। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 09/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 मई 2026 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क को तीन माह की अवधि के लिए 25 नवंबर 2026 तक बढ़ाया है और तत्पश्चात्, अधिसूचना संख्या 21/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अगस्त 2026 के माध्यम से शुल्क को तीन माह की अवधि के लिए 25 फरवरी 2027 तक और बढ़ाया है।

B. प्रक्रिया।

5. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

5.1 जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पहले भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
- ii. आवेदन की जांच करने पर, प्राधिकारी को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला। अतः, अधिसूचना फा. सं. 7/31/2025-डीजीटीआर दिनांक 5 मार्च 2026 के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

5.2 जांच की अवधि और क्षति अवधि:

- iii. जांच की अवधि (“पीओआई”) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 मानी गई थी। क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31

मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि तथा जांच अवधि को शामिल किया गया था।

5.3 आयात आंकड़े

- iv. क्षति अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों हेतु प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (“डीजी सिस्टम”) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को ये आंकड़े प्राप्त हुए और लेन-देनों की समुचित जांच के पश्चात् आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।

5.4 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन

- v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच की शुरूआत के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।
- vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों तथा आवेदन की प्रति के लिए लिखित रूप में अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- vii. प्राधिकारी ने भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह जांच शुरूआत अधिसूचना और प्रश्नावलियों को अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अग्रेषित करे और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।

5.5 संबद्ध देश के निर्यातकों तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों को सूचना और उनकी भागीदारी।

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
a.	फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
b.	ग्वान्गशी चेसिर पर्ल मटेरियल कंपनी लिमिटेड
c.	हेबेई ऑक्सन न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
d.	हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लि.
e.	जियांग्सू प्रिटी न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
f.	एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
g.	ऑक्सन स्पेशल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड झुहाई कार्यालय
h.	रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
i.	शैनडोंग हुआन न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
J.	शाओवू योंगहे जिनतांग न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
k.	सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि.
l.	ताइक्सिंग मेइलान न्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड
m.	झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
n.	झेजियांग क्यूहुआ फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड
o.	झेजियांग रुइचेंग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
p.	झेजियांग सानमेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

- ix. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
a.	रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
b.	फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
c.	हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
d.	हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

- x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
a.	एशियन पेंट्स लिमिटेड
b.	एफएक्स पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
c.	जियोक्रोम इंटरनेशनल
d.	काजल केमिकल्स
e.	केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड
f.	कुनकाई इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.
g.	पॉलीकेम एक्सपोर्ट्स
h.	आर.सी. इंटरनेशनल

- xi. संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है।

क्र. सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
a.	बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड

b.	कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड
c.	कुनकाई इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.

- xii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक एसोसिएशन, अर्थात् इंडियन पेंट एसोसिएशन ने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है।

5.6 सार्वजनिक फाइल

- xiii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों के अगोपनीय संस्करणों को सेतु पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।

5.7 आर्थिक हित प्रश्नावली

- xiv. प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्क के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली ("ईआईक्यू") जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर घरेलू उद्योग, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड और कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

5.8 मौखिक सुनवाई

- xv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 16 जुलाई 2026 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें और उसके पश्चात् प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- xvi. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को अनुपूरक प्रश्नावलियाँ जारी की गईं, तथा कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रयोक्ताओं और इंडियन पेंट एसोसिएशन को पत्र जारी

किए गए। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों पर प्रासंगिकता की सीमा तक विचार किया गया है।

- xvii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को दिनांक 21 अगस्त 2026 के प्रकटन विवरण के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया, और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए 28 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की, प्रासंगिक समझी गई सीमा तक, इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की गई है और उनका समाधान किया गया है।
- xviii. केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 मई 2026 के माध्यम से प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को 25 नवंबर 2026 तक बढ़ाया और अधिसूचना संख्या 21/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अगस्त 2026 के माध्यम से, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के परिणाम लंबित रहने तक, इसे 25 फरवरी 2027 तक और बढ़ाया।

5.9 अन्य प्रक्रियात्मक मामले:

- xix. नियम 6(8) के अनुसार, जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान जानकारी तक पहुंच देने से इनकार किया है या अन्यथा समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xx. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की, दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव था, गोपनीय आधार पर जानकारी उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर जानकारी का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

- xxi. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xxii. प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारी कीमत (“एनआईपी”) निर्धारित की कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क आवेदक को हो रही क्षति के उपचार के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (“जीएएपी”) को ध्यान में रखते हुए, भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उत्पादन एवं बिक्री लागत के आधार पर की गई है।
- xxiii. प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई जानकारी और किए गए अनुरोधों की, जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक समझे गए, इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की है।
- xxiv. ‘***’ किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी को दर्शाता है, जिसे नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।
- xxv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 86.76 है, जो आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित, जांच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। इन अंतिम जांच परिणामों में सर्वत्र यही दर लागू की गई है (स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view>)।

D. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

डी.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

6. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -
- आवेदक ने अपने आवेदन में यह स्पष्ट करने का गलत अनुरोध किया है कि केवल कॉस्मेटिक अनुप्रयोग के लिए कॉस्मेटिक ग्रेड को ही लगाए गए शुल्क से छूट प्राप्त

- है। जांच शुरूआत अधिसूचना ने घरेलू उद्योग के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए स्वयं को मूल उत्पाद तक सीमित रखा है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क, दोनों उपायों के अधीन है।
 - iii. अनुच्छेद VI:5 में दोहरे उपचार के विरुद्ध सिद्धांत स्पष्ट रूप से निहित है, जो पाटन या निर्यात सब्सिडी की एक ही स्थिति की क्षतिपूर्ति करने वाले अतिव्यापी व्यापार उपचार उपायों को प्रतिषिद्ध करता है।
 - iv. पाटनरोधी शुल्क के दायरे को 3206 11 से परे अतिरिक्त एचएस कोडों तक विस्तारित करने का आवेदक का अनुरोध भ्रान्त है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क उत्पाद विवरण के आधार पर लगाया जाता है, न कि एचएस कोडों के आधार पर।

डी.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -
 - i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स है। औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए कॉस्मेटिक ग्रेड का उल्लेखनीय मात्रा में आयात किया जा रहा है।
 - iii. आवेदक ने मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया था कि केवल कॉस्मेटिक अनुप्रयोग के लिए कॉस्मेटिक ग्रेड को ही लगाए गए शुल्क से छूट प्राप्त है। तथापि, ऐसा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया।
 - iv. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क, दोनों के अधीन है, उत्पाद का केवल औद्योगिक रूप ही दोनों प्रकार के उपायों के अधीन है। माइका पिगमेंट के किसी अन्य रूप पर दोनों उपाय लागू नहीं हैं।

डी.3 प्राधिकारी द्वारा जांच।

8. मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स" है।

8. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड लेपित माइका-युक्त एवं चमकदार पर्लेसेंट पिगमेंट हैं और बाजार में इसे व्यावसायिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड लेपित माइका पर्ल पिगमेंट अथवा पर्ल लस्टर पिगमेंट्स अथवा पर्ल पिगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग रंग तथा अन्य प्रभाव प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कुछ अकार्बनिक पिगमेंट/रंजक एजेंट जो चमकदार/दीप्तिमान फ्रॉस्टेड प्रभाव, पर्लेसेंट प्रभाव, धात्विक प्रभाव देते हैं, और इसका उपयोग कोटिंग, स्याही और प्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।”

9. वर्तमान जांच में भाग लेने वाले किसी भी पक्षकार ने किसी भी प्रकार के अपवर्जन का अनुरोध नहीं किया है। अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहता है जो मूल जांच परिणाम में परिभाषित किया गया था।
10. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क दोनों लागू होते हैं। यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने पूर्व में चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या वहां से निर्यातित 'ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों हेतु इफेक्ट पिगमेंट्स को छोड़कर, इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स या माइका पर्लेसेंट पिगमेंट्स' के आयात पर प्रतिकारी शुल्क जांच की थी। यह जांच अधिसूचना संख्या 6/08/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 28 मार्च 2025 के द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 04/2025-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 26 जून 2025 के द्वारा प्रतिकारी उपाय लागू किए थे। प्रतिकारी शुल्क केवल जून 2025 में प्रवर्तित हुआ था, और शुल्क की अवधि जांच अवधि के लगभग 3 माह को कवर करती है।

11. शुल्क की सिफारिश के प्रयोजन से विचार किए जाने वाले एचएस कोड संबंधी अनुरोधों पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 32 के अंतर्गत उपशीर्ष 320611 के तहत वर्गीकृत है। मध्यावधि समीक्षा में यह पाया गया था कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात विचाराधीन उत्पाद का आयात भिन्न एचएसएन कोडों के अंतर्गत भी किया जा रहा था। अतः शुल्कों को एचएस कोड - 3206 49 90, 3206 19 00, 3204 17 59, 3204 17 39, 3204 17 20, 3204 17 90 और 3207 10 40 तक भी विस्तारित किया गया था। वर्तमान जांच के लिए इन्हीं कोडों पर विचार किया गया है।
12. प्राधिकारी पाटनरोधी एवं सीवीडी जांच में पीयूसी के दायरे के संबंध में आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को नोट करते हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

क्र.सं.	उत्पाद का रूप	एडीडी	सीवीडी
1	नेचुरल	कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव	ऑटोमोटिव अनुप्रयोग को छोड़कर इंडस्ट्रियल और कॉस्मेटिक्स
2	सिंथेटिक	कोई नहीं	ऑटोमोटिव अनुप्रयोग को छोड़कर इंडस्ट्रियल और कॉस्मेटिक्स

13. पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क जांचों के बीच विचाराधीन उत्पाद का दायरा भिन्न है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क जांच में औद्योगिक एवं ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए माइका पिगमेंट का प्राकृतिक रूप शामिल था, जबकि कॉस्मेटिक ग्रेड को अपवर्जित किया गया था। सीवीडी जांच में औद्योगिक एवं कॉस्मेटिक अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद के प्राकृतिक रूप शामिल थे, जिसमें ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों को अपवर्जित किया गया था। उत्पाद के सिंथेटिक रूप एडीडी जांच के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, जबकि सीवीडी जांच में ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों को छोड़कर औद्योगिक एवं कॉस्मेटिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त सिंथेटिक रूप शामिल हैं। इस प्रकार, सीवीडी जांच का उत्पाद दायरा सिंथेटिक रूपों तथा कॉस्मेटिक-ग्रेड प्राकृतिक उत्पादों को शामिल करने के कारण व्यापक है, जबकि इसमें ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों को अपवर्जित किया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि उत्पाद की संपूर्ण श्रेणी पर दोनों प्रकार के उपाय लागू होते हैं। सीवीडी जांच में दिनांक

28.03.2025 के अंतिम जांच परिणाम में शुल्क तालिका के नीचे दिए गए नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कोई दोहरा उपचार नहीं है। संबंधित उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

#पाटनरोधी/प्रतिकारी शुल्क उपायों के संग्रहण हेतु।

a. औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु प्राकृतिक ग्रेड के इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स या माइका पर्लेसेंट पिगमेंट्स के मामले में, प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 नवंबर 2023 के अनुसार देय पाटनरोधी शुल्क के बीच के अंतर के बराबर होगी।

b. कॉस्मेटिक अनुप्रयोग हेतु प्राकृतिक ग्रेड के इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स या माइका पर्लेसेंट पिगमेंट्स के मामले में, चूंकि कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं है, प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी।

c. ऑटोमोटिव अनुप्रयोग हेतु प्राकृतिक ग्रेड के इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स या माइका पर्लेसेंट पिगमेंट्स के मामले में, कोई प्रतिकारी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए।

d. ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के अतिरिक्त अन्य अनुप्रयोगों हेतु सिंथेटिक ग्रेड के इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स या माइका पर्लेसेंट पिगमेंट्स के मामले में, चूंकि कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं है, प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी।

14. आवेदक ने एक पीसीएन पद्धति प्रस्तावित की थी। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, जांच के दौरान पीसीएन पद्धति को संशोधित किया गया और फा. सं. 7/31/2025-डीजीटीआर दिनांक 16 अप्रैल 2026 के नोटिस के द्वारा स्पष्ट किया गया। तत्पश्चात किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी दाखिल नहीं की है। अपनाई गई अंतिम पीसीएन पद्धति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	पार्टिकल आकार*	कोड
	गैर-ऑटोमोबाइल (N)		
1	सिल्वर-1	छोटा (डी50<17)- S	N1S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	N1R
		बड़ा (डी50>30)- L	N1L
		विशेष- X	N1X
2	गोल्ड-2	छोटा (डी50<17)- S	N2S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	N2R
		बड़ा (डी50>30)- L	N2L
		विशेष- X	N2X
3	इरिडिसेंट-3	छोटा (डी50<17)- S	N3S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	N3R
		बड़ा (डी50>30)- L	N3L
		विशेष- X	N3X
4	अर्थ टोन्स (ब्रॉन्ज/कॉपर /मरून)-4	छोटा (डी50<17)- S	N4S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	N4R
		बड़ा (डी50>30)- L	N4L
		विशेष- X	N4X
5	अन्य-5	छोटा (डी50<17)- S	N5S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	N5R
		बड़ा (डी50>30)- L	N5L
		विशेष- X	N5X
	ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग (A)		
1	सिल्वर- 1	छोटा (डी50<17)- S	A1S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	A1R
		बड़ा (डी50>30)- L	A1L
		विशेष- X	A1X

2	गोल्ड- 2	छोटा (डी50<17)- S	A2S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	A2R
		बड़ा (डी50>30)- L	A2L
		विशेष- X	A2X
3	इरिडिसेंट- 3	छोटा (डी50<17)- S	A3S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	A3R
		बड़ा (डी50>30)- L	A3L
		विशेष- X	A3X
4	अर्थ टोन्स (ब्रॉन्ज/कॉपर/ मरून)-4	छोटा (डी50<17)- S	A4S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	A4R
		बड़ा (डी50>30)- L	A4L
		विशेष- X	A4X
5	अन्य-5	छोटा (डी50<17)- S	A5S
		नियमित (डी50 17-30 के बीच) - R	A5R
		बड़ा (डी50>30)- L	A5L
		विशेष- X	A5X

15. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' है।

E. घरेलू उद्योग एवं अधिकारिता।**ई.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

16. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- i. आवेदक चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद का नियमित आयातक है।
- ii. आवेदक ने मूल जांच, एमटीआर जांच और वर्तमान एसएसआर जांच की जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयात किया है।
- iii. प्राधिकारी को जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा तथा ऐसे आयात किए जाने के कारणों का प्रकटन करने का निदेश देना चाहिए।
- iv. प्राधिकारी को आवेदक द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु आयात की अनुमेयता की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

ई.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- i. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कुल आयात केवल *** मीट्रिक टन था, जिसमें से जांच अवधि के दौरान मात्र *** मीट्रिक टन का आयात किया गया था।
- ii. ये आयात केवल नमूने के प्रयोजन से किए गए थे, न कि व्यावसायिक बिक्री के लिए।
- iii. आवेदक द्वारा किए गए आयात उसके स्वयं के उत्पादन की तुलना में केवल ***% हैं।
- iv. नियम प्राधिकारी को यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है कि कोई उत्पादक घरेलू उद्योग का गठन करता है या नहीं, भले ही उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया हो।
- v. न तो पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत और न ही प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा में कोई विशिष्ट मात्रात्मक सीमा निर्धारित की गई है। यह निर्धारण आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होता है।

ई.3 प्राधिकारी द्वारा जांच ।

18. वर्तमान आवेदन सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक भारत में उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देश से उत्पाद का आयात किया है और आवेदन में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है। इसका सत्यापन डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आयात डेटा से भी किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई अक्टूबर 24- सितंबर 2025
1	आयातित मात्रा	मी.टन	***	***	***	***

19. नीचे दी गई तालिका क्षति जांच अवधि में आवेदक द्वारा किए गए आयातों की सापेक्ष जानकारी दर्शाती है। यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा किए गए आयात उसके स्वयं के उत्पादन तथा संबद्ध देश से होने वाले आयातों की तुलना में अत्यल्प हैं।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	कुल
1	क्षति अवधि के दौरान आवेदक द्वारा कुल आयात	मी.टन	***
2	चीन से कुल आयात मात्रा	मी.टन	***
3	चीन से आयात के संबंध में आवेदक द्वारा आयात	%	<1%
4	आवेदक द्वारा उत्पादन	मी.टन	***
5	उत्पादन के संबंध में आवेदक द्वारा आयात	%	<1%

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्राधिकारी को आवेदक द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु आयात की अनुमेयता की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह नोट किया गया है कि न तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और न ही पाटनरोधी नियमावली आयात की कोई ऐसी मात्रात्मक सीमा निर्धारित करती है जिसके आगे कोई घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त करना बंद कर देगा। नियम 2(ख) में केवल यह प्रावधान है कि ऐसा उत्पादक जो कथित रूप से पाटित वस्तु

के निर्यातक या आयातक से संबंधित है, या जो स्वयं उसका आयातक है, उसे घरेलू उद्योग के दायरे से केवल तभी अपवर्जित किया जा सकता है जब तथ्य ऐसा करना उचित ठहराते हों। इस प्रकार, यह निर्धारण आयातों की प्रकृति, सीमा और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या आयात इतनी मात्रा में हैं कि आवेदक उत्पादक के बजाय व्यापारी के रूप में कार्य करता है। प्राधिकारियों ने सुसंगत रूप से निम्नलिखित पर विचार किया है: (i) निरपेक्ष एवं सापेक्ष रूप में आयात की मात्रा, (ii) आयातों का प्रयोजन और उनकी सद्भावपूर्ण प्रकृति, (iii) क्या उत्पादक मुख्य रूप से घरेलू विनिर्माण में संलग्न बना हुआ है या उसने आयातक-व्यापारी की भूमिका अपना ली है, (iv) क्या आयातों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है, और (v) क्या उत्पादक के प्राथमिक आर्थिक हित आयात के बजाय घरेलू उत्पादन के साथ संरेखित बने हुए हैं। अतः यह विश्लेषण प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है, न कि किसी पूर्वनिर्धारित संख्यात्मक सीमा के आधार पर।

21. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।

F. विविध अनुरोध।

एफ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

22. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

- i. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Sarvesh Mathur v. Registrar General, High Court of Punjab and Haryana के मामले में यह माना है कि न्याय तक पहुंच के लिए यह आवश्यक है कि जहां आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध हो, वहां वादकारियों को हाइब्रिड सुनवाई तंत्र के माध्यम से कार्यवाही में भौतिक या आभासी रूप से भाग लेने का विकल्प दिया जाए।
- ii. व्यापार उपचार जांचों में, अपनी प्रकृति के कारण ही, जटिल प्रश्न सम्मिलित होते हैं।

- iii. इन मुद्दों के लिए प्रायः विस्तृत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण, माननीय प्राधिकारी के साथ व्यापक संवाद, तथा सुनवाई के दौरान निरंतर संवाद के माध्यम से तकनीकी पहलुओं के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।
- iv. चूंकि मौखिक सुनवाई 16 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी और लिखित अनुरोध दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2026 थी, हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई के दौरान अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत व्यापक मौखिक तर्कों से संबंधित विस्तृत लिखित अनुरोध तैयार करने के लिए प्रभावी रूप से केवल एक कार्य दिवस (अवकाशों को छोड़कर) दिया गया।
- v. विवादित समय-सीमा हितबद्ध पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के सार्थक अवसर से प्रभावी रूप से वंचित करती है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के असंगत है।

एफ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- i. प्राधिकारी ने कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापार सूचना संख्या 01/2020 के माध्यम से आभासी सुनवाई की शुरुआत की थी, और इस व्यवस्था को व्यापार सूचना संख्या 01/2021 के द्वारा विस्तारित किया गया था। तब से, व्यापार उपचार जांचों में आभासी सुनवाई स्थापित प्रथा बन गई है।
- ii. नियम 6(6) मौखिक सुनवाई आयोजित करने की पद्धति निर्धारित नहीं करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सहित, सुनवाई का संचालन प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अंतर्गत है।
- iii. हितबद्ध पक्षकार आभासी सुनवाई से हुए किसी भी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। उसे मौखिक अनुरोध करने, सुनवाई-पश्चात अनुरोध दाखिल करने तथा प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।
- iv. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार (आईपीए) को उसकी प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय-विस्तार प्रदान किया और उसके अनुरोध पर मौखिक सुनवाई को भी पुनर्निर्धारित किया, तथा सुनवाई-पश्चात एवं प्रत्युत्तर अनुरोधों के लिए तदनु रूप समय-विस्तार दिया। इसके बावजूद, हितबद्ध पक्षकार रिकॉर्ड पर सार्थक जानकारी रखने में विफल रहा।

- v. मौखिक सुनवाई का प्रयोजन जांच के दौरान पहले से किए गए अनुरोधों को विस्तार से स्पष्ट करना है। सुनवाई के दौरान उठाए गए किसी भी नए मुद्दे का समाधान प्रत्युत्तर अनुरोधों के माध्यम से किया जा सकता था।

एफ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच।

24. इंडियन पैट एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि मौखिक सुनवाई हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाए, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों को भौतिक और आभासी दोनों मोड में भाग लेने का विकल्प हो। हितबद्ध पक्षकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के Sarvesh Mathur v. Registrar General, High Court of Punjab and Haryana तथा Mayur L. Desai v. State of Maharashtra के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह दावा किया है कि जहां अवसंरचना उपलब्ध है, वहां भागीदारी के किसी भी एक मोड से वंचित करना अनुचित प्रतिबंध है। हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद, पीसीएन, पाटन मार्जिन की गणना, तकनीकी विनिर्देशों और गोपनीय जानकारी जैसे मुद्दों को जटिल बताते हुए हाइब्रिड सुनवाई की आवश्यकता का उल्लेख किया है।
25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसोसिएशन ने मौखिक सुनवाई के दौरान या अपने बाद के लिखित अनुरोधों में विचाराधीन उत्पाद, पीसीएन, पाटन मार्जिन की गणना, तकनीकी विनिर्देशों पर कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, जांच की कथित जटिलता हाइब्रिड सुनवाई की आवश्यकता को प्रदर्शित नहीं करती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि व्यापार उपचार जांचों में जटिल मुद्दे सम्मिलित हो सकते हैं, मुद्दों की जटिलता अपने आप में हाइब्रिड मोड में सुनवाई आयोजित करने को उचित नहीं ठहराती है। मौखिक सुनवाई आयोजित करने का तरीका, जांच के कुशल संचालन, प्रशासनिक व्यवहार्यता तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी के प्रक्रियात्मक विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। हाइब्रिड सुनवाई के विकल्प पर, जहां उचित हो, मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, इंडियन पैट एसोसिएशन हाइब्रिड मोड में सुनवाई आयोजित करने के लिए कोई औचित्य स्थापित करने में विफल रहा है। प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक एवं लिखित अनुरोधों के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं युक्तिसंगत अवसर

दिया गया था। तदनुसार, प्राधिकारी इस अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते हैं कि सुनवाई आवश्यक रूप से केवल हाइब्रिड मोड में ही आयोजित की जानी चाहिए।

26. इंडियन पेंट एसोसिएशन ने दावा किया है कि सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध दाखिल करने के लिए दी गई समय-सीमा बहुत कम थी, जिससे हितबद्ध पक्षकार अपना पक्ष सार्थक रूप से प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित रह गए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच 5 मार्च 2026 को शुरू की गई थी और हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित था कि वे निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करें। इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी ने पहले 8 मई 2026 तक और तत्पश्चात 11 मई 2026 तक समय-विस्तार प्रदान किया। प्रदान किए गए समय-विस्तार के बावजूद, इंडियन पेंट एसोसिएशन ने प्रश्नावली का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया।
27. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि मौखिक सुनवाई प्रारंभ में 8 जुलाई 2026 के लिए निर्धारित की गई थी। हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर सुनवाई को पुनर्निर्धारित कर 16 जुलाई 2026 कर दिया गया, और सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध तथा प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने की संशोधित समय-सीमाएं 8 जुलाई 2026 की सूचना के माध्यम से सूचित की गईं, जिसमें लिखित अनुरोध के लिए 19 जुलाई 2026 तथा प्रत्युत्तर अनुरोध के लिए 26 जुलाई 2026 की तिथि नियत की गई थी। इस प्रकार हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई से आठ दिन पूर्व और लिखित अनुरोध की नियत तिथि से ग्यारह दिन पूर्व कार्यक्रम से अवगत करा दिया गया था, और उनके पास सुनवाई के पश्चात अपने लिखित अनुरोध तैयार करने के लिए मध्यवर्ती अवधि उपलब्ध थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध का प्रयोजन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए मौखिक अनुरोधों को अभिलेख पर रखना है, न कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का उत्तर देना। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का कोई भी उत्तर प्रत्युत्तर अनुरोध के माध्यम से दाखिल किया जाना है, जिसके लिए अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 थी, जो सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध की अंतिम तिथि से सात दिन बाद थी। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी पाते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, और यह तर्क कि लिखित अनुरोध दाखिल करने के लिए अपर्याप्त समय दिया गया, निराधार है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

28. इंडियन पेंट एसोसिएशन को एक पत्र भी भेजा गया जिसमें दो बार समय-विस्तार मांगने के बावजूद कोई उत्तर दाखिल न करने के कारण स्पष्ट करने तथा आर्थिक हित प्रश्नावली के भाग-I (सामान्य खंड) के प्रश्न 3 के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, जिनमें उस बैठक का कार्यवृत्त शामिल है जिसमें एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों की ओर से वर्तमान जांच में भाग लेने का संकल्प लिया गया था, तथा ऐसी भागीदारी के संबंध में समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले या तटस्थ रहने वाले सदस्यों की सूची, साथ ही उन प्रयोक्ताओं के हित से संबंधित कुछ जानकारी जिनका प्रतिनिधित्व करने का उसने दावा किया है। एसोसिएशन ने उपनियमों और संस्था के ज्ञापन (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन) की जानकारी तो प्रदान की है, किंतु उसने दावा किया है कि बैठक के कार्यवृत्त तथा भाग लेने का विरोध या समर्थन करने वाले सदस्यों की सूची की जानकारी उस चरण पर उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उसका अभिरक्षक देश में उपस्थित नहीं था। एसोसिएशन ने दावा किया कि वह संबंधित जानकारी उपलब्ध होने पर प्रदान करेगी। तथापि, आज तक ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
29. मेसर्स कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और मेसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर 11.05.2026 को एसोसिएशन के विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल किए गए और एसोसिएशन के पंजीकरण के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए गए। जांच करने पर, उत्तर तात्त्विक रूप से अपूर्ण पाए गए। मेसर्स कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड के मामले में, अनुबंध-3 में लेन-देन-वार खरीद विवरण प्रारूप में निर्धारित ब्योरों के बिना दाखिल किए गए, अनुबंध-5 में संपूर्ण अवधि शामिल नहीं थी और उसमें आंतरिक रूप से असंगत आंकड़े थे, तथा अनुबंध-6 बिना किसी आंकड़े के दाखिल किया गया। मेसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के मामले में, निर्धारित आंकड़ा अनुबंधों में से कोई भी दाखिल नहीं किया गया, और यह कथन किया गया कि आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं और बाद में प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों उत्तरों में कई स्थानों पर आगे यह भी कहा गया कि तात्त्विक पहलुओं को एसोसिएशन के बाद के अनुरोधों में विस्तार से बताया जाएगा; ऐसे कोई अनुरोध कभी दाखिल नहीं किए गए। 10.07.2026 के पत्र द्वारा कंपनियों से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि वे किस हैसियत में जांच में भाग ले रही हैं तथा अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करें। उक्त पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

G. पाटन का आकलन तथा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण

जी.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

30. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

जी.2 आवेदक के अनुरोध

31. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। यदि यह तर्क दिया जाए कि चीन जनवादी गणराज्य के एक्सेशन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(क)(ii) पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए उसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता, तो भी अनुच्छेद 15(क)(i) अब भी लागू है और चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उस पर विचार किया जाना चाहिए।
 - ii. चीन जनवादी गणराज्य के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के अनुसार निर्यातक द्वारा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है।
 - iii. चूंकि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के हकदार नहीं हैं, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 का अनुसरण करना चाहिए।
 - iv. आवेदक द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

जी.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

जी.3.1 सामान्य मूल्य

32. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से अभिप्राय है:

i) समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय कीमत, जब वह निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र में उपभोग के लिए हो, जैसा कि उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, या

ii) जब निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो, या जब विशेष बाजार स्थिति अथवा निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति न देती हो, तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा: (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत, जब उसका निर्यात निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र से अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो, जैसा कि उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो; या

उद्गम देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत समायोजन सम्मिलित हो, जैसा कि उपधारा 6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो;

ख) परंतु उद्गम देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को निर्यातक देश के माध्यम से मात्र पारेषित (ट्रांसशिप) किया गया हो या ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक देश में नहीं होता हो या निर्यातक देश में कोई तुलनीय कीमत न हो, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

33. प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित सुसंगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकल्पित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, या जहां यह संभव न हो, या किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर युक्तिसंगत लाभ मार्जिन को सम्मिलित करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले उपयुक्त तीसरे देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रीति से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। जहां उपयुक्त हो, समय-सीमा के भीतर, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच को ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए युक्तिसंगत समयावधि दी जाएगी।

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश" पद से अभिप्राय ऐसे किसी देश से है जिसके बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार यह निर्धारित करते हैं कि वह लागत या कीमत-निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है, जिससे ऐसे देश में माल की बिक्री माल के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

(2) यह उपधारणा की जाएगी कि कोई भी देश, जिसे जांच से पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है या ऐसा माना गया है, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। परंतु, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी जानकारी और साक्ष्य प्रदान करके, जो यह स्थापित करते हों कि उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, ऐसी उपधारणा का खंडन कर सकती हैं।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में संबंधित फर्मों के कीमतों, लागतों और इनपुटों, जिनमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं, के संबंध में निर्णय आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतों के अनुसार और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं, और क्या प्रमुख इनपुटों की लागतें सारभूत रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आगे चली आ रही महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते में डालने, वस्तु-विनिमय व्यापार और ऋणों के प्रतिकर के माध्यम से भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म ऐसे दिवाला और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के संचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं, और (घ) विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर किए जाते हैं। परंतु, जहां इस पैरा में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियां विद्यमान हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 और इस पैरा में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप-पैरा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसे, सुसंगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, ऐसे मूल्यांकन के किसी सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशन द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य किसी देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है या माने जाने का निर्धारण किया गया है।"

34. वर्तमान जांच में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है:

क्र. सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
a.	रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
b.	फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
c.	हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
d.	हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

35. हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने पंजीकरण तो कराया किंतु निर्यातक प्रश्नावली का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया। तदनुसार, इन उत्पादकों के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया है।
36. जांच शुरुआत के चरण पर, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने की उपधारणा के साथ कार्यवाही की। जांच शुरू होने पर, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में जानकारी प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/जानकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
37. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी समझौते के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य निम्नलिखित नियमों के आधार पर या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग

करेगा या ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कड़ी तुलना पर आधारित न हो, यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों पर विचार करते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयाँ हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और मापन के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखती हों कि चीन में प्रचलित निबंधन एवं शर्तें सदैव उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धतियों को लागू करते समय, जहाँ व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित निबंधन एवं शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पहले ऐसी प्रचलित निबंधन एवं शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा तथा उप-पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार जब चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर दे कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड विद्यमान हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह स्थापित कर दे कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर आगे लागू नहीं होंगे।”

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान, एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित, यह अपेक्षा करता है कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के दावे संबंधी अनुपूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली जानकारी/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाए।
39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित इस पूर्वधारणा का खंडन करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली दाखिल नहीं की है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार आगे बढ़ना होगा।
40. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण की तीन पद्धतियाँ निर्धारित करता है: (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर; तथा (ग) किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य का निर्धारण पहले किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य, अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, जब

ऐसा आधार संभव न हो, केवल तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

41. प्राधिकारी के समक्ष दाखिल आवेदन में घरेलू उद्योग ने भारत में देय कीमत के आधार पर, युक्तिसंगत प्रशासनिक, विक्रय एवं सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए विधिवत समायोजित करते हुए, सामान्य मूल्य का दावा किया था।
42. घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने रिकॉर्ड पर ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है जिससे किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके। यह देखा गया है कि मूल जांच और मध्यावधि समीक्षा जांच में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर, युक्तिसंगत प्रशासनिक, विक्रय एवं सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए विधिवत समायोजित करते हुए, किया गया था।
43. अतः प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर, भारत में अनुकूलित उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए तथा युक्तिसंगत प्रशासनिक, विक्रय एवं सामान्य लागतों और लाभ के लिए विधिवत समायोजित करते हुए, सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार, पीसीएन-वार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

जी.3.2 निर्यात कीमत

i. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

44. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (रिका) चीन में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और इसने विचाराधीन उत्पाद का भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे निर्यात किया है। उत्पादक ने चार वाणिज्यिक बीजकों के अंतर्गत *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर उत्पाद के *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है।

45. उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं संबंधित व्यय, बैंक प्रभार, वैट और ऋण लागत के मद में समायोजनों का दावा किया है और उन्हें स्वीकार किया गया है। उत्पादक के लिए पीसीएन-वार निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और कारखाना द्वार स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

ii. फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

46. फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कुनकाई) चीन में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और इसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात आंशिक रूप से असंबद्ध ग्राहकों को तथा आंशिक रूप से भारत में अपनी संबद्ध इकाई के माध्यम से किया है, जिसने वस्तुओं को भारत में असंबद्ध ग्राहकों को पुनः बेचा है। उत्पादक ने *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर उत्पाद के *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है।

47. प्राधिकारी ने लेनदेन-वार आंकड़ों के संदर्भ में दावे की जांच की है और निम्नलिखित को छोड़कर, दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार किया है। पहला, जिन लेनदेनों में अंतर्देशीय परिवहन इस आधार पर शून्य दर्शाया गया था कि वस्तुएँ निर्यातक के अपने वाहनों से पत्तन तक पहुँचाई गई थीं, उनके लिए प्राधिकारी ने एक काल्पनिक अंतर्देशीय भाड़ा माना है, जिसका निर्धारण शेष लेनदेनों के लिए निर्यातक द्वारा स्वयं दर्शाए गए अंतर्देशीय परिवहन के भारित औसत के रूप में किया गया है, क्योंकि कारखाने से पत्तन तक वस्तुओं की आवाजाही में वाहन के स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना लागत निहित होती है। दूसरा, कारखाना द्वार स्तर की कीमत को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने के लिए प्राधिकारी ने इसके बजाय निर्यातक की अपनी सूची में दर्ज लेनदेन-वार विनिमय दरों को लागू किया है।

iii. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

48. शेष उत्पादकों के लिए शुद्ध निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए किया गया है।

जी.3.3 पाटन मार्जिन

49. विचाराधीन उत्पाद के लिए ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है: -

विवरण	इकाई	कुनकाई	रिका	अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक
निर्मित सामान्य मूल्य, भारत औसत	अमेरिकी डॉलर/मी.टन	***	***	***
निवल निर्यात कीमत, भारत औसत	अमेरिकी डॉलर/मी.टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी.टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज (%)	30-40	40-50	60-70

50. यह देखा गया है कि चीन जन गण के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा (डी-मिनिमिस) से अधिक है। संबद्ध देश से पाटन जारी रहा है।

H. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

एच.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

51. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- घरेलू उद्योग की नकद हानि सकारात्मक में बदल गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को न तो कोई क्षति हुई है और न ही इसकी कोई संभावना है

- ii. पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग में 18% की वृद्धि हुई।
- iii. पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- iv. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, अर्थात् 60% की।
- v. पाटनरोधी और सीवीडी दोनों शुल्क प्रभावी रहने के बावजूद घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि में शुद्ध हानि में रहा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीन जन गण से आयात क्षति का कारण नहीं है। घरेलू उद्योग अपनी आंतरिक अक्षमताओं के कारण क्षति का सामना कर रहा है।
- vi. रिका की बाजार संबंधी जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में सिंथेटिक माइका के आयात में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। उत्पाद की मांग को सिंथेटिक माइका द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- vii. घरेलू उद्योग की क्षमता आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 118 हो गई, जो उल्लेखनीय वृद्धि है। इससे घरेलू उद्योग की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यही घरेलू उद्योग की क्षति का वास्तविक कारण है।
- viii. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री 2020-21 में 104 से घटकर जांच अवधि में 94 रह गई, जो उल्लेखनीय गिरावट है।
- ix. निर्यात बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट के कारण उत्पादन में कमी आने से प्रति इकाई स्थिर लागत में वृद्धि हुई, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- x. घरेलू उद्योग का विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन 2024-25 में 136 से घटकर जांच अवधि में 127 रह गया।
- xi. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात में क्षति अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है।
- xii. आवेदक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात-उन्मुख विनिर्माता है और प्रवृत्तियों के अनुसार इसकी निर्यात मात्रा पूरी क्षति अवधि में पर्याप्त बनी रही है।
- xiii. जांच अवधि में चीन से आयात कीमतों में वृद्धि हुई है। आयात कीमतें 2022-23 में 5.19 लाख (रुपये/मीट्रिक टन) थीं, फिर 2023-24 में बढ़कर 5.69 लाख हो गई, फिर 2024-25 में घटकर 3.42 लाख रह गई, और फिर जांच अवधि में काफी बढ़कर 6.16 लाख हो गई।

- xiv. यदि चीन से आयात की कीमतें आवेदक के मूल्य-निर्धारण संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाला निर्णायक कारक होतीं, तो यह युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित होता कि आवेदक की कीमतें चीनी कीमतों के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ बढ़तीं और घटतीं।
- xv. आवेदक का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में सूचकांकित 100 से बढ़कर जांच अवधि में 139 हो गया है। दूसरी ओर, संबद्ध देश द्वारा दर्ज बाजार हिस्सा 100 से घटकर जांच अवधि में 53 रह गया है।
- xvi. शुद्ध विक्रय प्राप्ति (एनएसआर) एक स्वैच्छिक व्यावसायिक निर्णय है और उत्पादन लागत सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। केवल कीमत कटौती की उपस्थिति को, अपने आप में, सारवान क्षति या सारवान अवरोध का निर्णायक संकेतक नहीं माना जा सकता।
- xvii. यदि व्ययों के गलत आबंटन, आंतरिक कमियों या अन्य कंपनी-विशिष्ट कारकों के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अक्षम है, तो इससे उत्पादन लागत बढ़ी हुई होगी और परिणामस्वरूप विक्रय कीमत अधिक होगी, जो प्रचलित बाजार मानदंडों के अनुरूप नहीं है।
- xviii. आवेदक के अपने स्वैच्छिक क्षमता विस्तार संबंधी निर्णयों से उत्पन्न कम प्रतिफल को संबद्ध आयातों के कारण नहीं ठहराया जा सकता।
- xix. आवेदक के संयंत्र केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं हैं और उत्पाद-विशिष्ट लाइनों के बीच लागत आबंटन के सत्यापन की आवश्यकता है।
- xx. आवेदक की निर्यात अभिमुखता प्रबल है, क्योंकि भारतीय बाजार में भारी मांग और पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण के बावजूद इसके उत्पादन का लगभग 30%-40% निर्यात किया जाता है।
- xxi. घरेलू उद्योग ने बताया है कि चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा 798 मीट्रिक टन थी और 10,000-15,000 मीट्रिक टन की मांग में चीनी आयातों का हिस्सा मात्र 5-8% है। आयात की इतनी कम मात्रा को युक्तिसंगत रूप से किसी सारवान क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

एच.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

52. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. शुल्क के अधिरोपण से घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में टिक पाया है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार करके उत्पाद में निवेश किया है। यदि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी न होता, तो घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में टिक नहीं पाता। अतः घरेलू उद्योग के अस्तित्व के लिए पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना अत्यंत आवश्यक है।
- ii. संबद्ध देश से आयात पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बाद घटा, 2024-25 में बढ़ा और जांच अवधि के दौरान पुनः घटा। कुल मिलाकर, क्षति अवधि में आयात में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में गिरावट आई है।
- iii. संबद्ध आयातों द्वारा कीमत कटौती निरंतर सकारात्मक बनी हुई है।
- iv. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में कच्चे माल की लागत में तीव्र वृद्धि के कारण हानि हुई, जबकि आयात कीमतों में तदनु रूप वृद्धि नहीं हुई। तत्पश्चात् मध्यावधि समीक्षा में यह स्थापित हुआ कि पाटन और तीव्र हो गया था।
- v. विद्यमान पाटनरोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग के निष्पादन में और गिरावट को रोका है और क्षति से आंशिक रूप से उबरने में सक्षम बनाया है।
- vi. घरेलू उद्योग ने 2023-24 में एक नई उत्पादन लाइन जोड़कर अपनी क्षमता का विस्तार किया। उपलब्ध क्षमता संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; तथापि, संयंत्रों में अन्य माइका-आधारित पिगमेंट्स का भी विनिर्माण किया जाता है।
- vii. क्षति अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है, किंतु घरेलू उद्योग अभी भी पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता के साथ कार्य कर रहा है और उत्पादन स्थापित क्षमता से नीचे बना हुआ है।
- viii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा है जबकि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा घटा है। फिर भी, पाटित आयात भारतीय मांग के लगभग 20% के लिए जिम्मेदार बने हुए हैं।
- ix. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है, घरेलू उद्योग को निरंतर हानि हो रही है तथा निवेश पर आय और ब्याज एवं कर पूर्व लाभ नकारात्मक हैं। नकद लाभ केवल जांच अवधि में ही सकारात्मक हुआ है।

- x. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान लगभग ₹ *** करोड़ की निवल अचल परिसंपत्तियों के मुकाबले ₹ *** करोड़ से अधिक की हानि हुई है, जो पाटित आयातों के प्रति इसकी निरंतर संवेदनशीलता को दर्शाती है।
- xi. निरंतर हानियों ने घरेलू उद्योग की आय अर्जित करने, निवेश आकर्षित करने और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। निरंतर संरक्षण के अभाव में, वित्तीय स्थिति के और बिगड़ने की संभावना महत्वपूर्ण है।
- xii. पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप वृद्धि और मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ है; तथापि, कीमत संबंधी मानदंड अभी भी प्रतिकूल बने हुए हैं और घरेलू उद्योग सतत सुधार प्राप्त नहीं कर सका है।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन का केवल 10-15% ही निर्यात किया गया है। घरेलू उद्योग का प्राथमिक बाजार घरेलू बाजार है।
- xiv. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि क्षमता विस्तार के कारण क्षति हुई है, क्षमता विस्तार 2023-24 में हुआ और उसके बाद घरेलू उद्योग की हानियाँ घटी हैं। यदि क्षमता विस्तार क्षति का कारण होता, तो हानियाँ बढ़ी होतीं।

एच.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

53. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11, अनुबंध II के साथ पठित, में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक घटाने या उन कीमत वृद्धियों को, जो अन्यथा हुई होतीं, महत्वपूर्ण सीमा तक रोकने का है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग

की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाएँ। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं भी दर्शा सकते। प्राधिकारी ने क्षति के सभी मानदंडों पर विचार किया है और तत्पश्चात् यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।
55. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान करता है।
56. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की भी जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में टिके रहने में सक्षम हुआ है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व, पाटन का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग के मात्रा और कीमत दोनों मानदंडों पर महसूस किया गया था। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ घरेलू उद्योग ने सुधार दर्ज किया है। यह माना जाता है कि मूल जांच की कानूनी अपेक्षा निर्णायक समीक्षा जांच से भिन्न है। निर्णायक समीक्षा जांच में अपेक्षा यह जांच करने की है कि क्या उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इस संबंध में सीईएसटीएटी के Kalyani

Steel Limited vs Designated Authority 2006 (203) ELT 418 (Tri - Delhi) मामले के निर्णय का संदर्भ लिया जाता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शुल्क लगाए जाने के कारण कुछ मानदंडों में मामूली सुधार का यह अर्थ नहीं है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गए हैं।

58. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग को क्षति नेचुरल माइका (विचाराधीन उत्पाद) से सिंथेटिक माइका (गैर-विचाराधीन उत्पाद) की ओर मांग के स्थानांतरण के कारण हुई है, यह देखा गया है कि क्षति अवधि में देखने पर उत्पाद (पीयूसी) की मांग बढ़ी है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है। यदि मांग नेचुरल माइका से सिंथेटिक माइका की ओर स्थानांतरित हुई होती, तो घरेलू उद्योग की मांग और घरेलू बिक्री घटी होती। अतः, नेचुरल माइका से सिंथेटिक माइका की ओर स्थानांतरण के कारण मांग में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।
59. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत एक स्वैच्छिक निर्णय है और सकारात्मक कीमत कटौती को क्षति दर्शाने वाला कारक नहीं माना जा सकता, हितबद्ध पक्षकारों का तर्क गलत है। यद्यपि निवल बिक्री प्राप्ति घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है, यह प्रचलित बाजार स्थितियों से प्रभावित होती है। जहाँ पाटित आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर उपलब्ध हों, वहाँ घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने में बाधित रहता है।
60. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार से उत्पन्न कम आय को पाटित आयातों के कारण नहीं माना जा सकता, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने और पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए क्षमता विस्तार किया। यह भी नोट किया जाता है कि विस्तार के बाद उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि के बावजूद, पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर हानि हो रही है और नकारात्मक आय प्राप्त हो रही है। क्षमता विस्तार से पूर्व की अवधि में हानियाँ अधिक थीं और विस्तार के बाद घटी हैं, जो दर्शाता है कि क्षमता विस्तार क्षति का कारण नहीं हो सकता।

61. इस अनुरोध पर कि विनिर्माण सुविधाओं में अन्य माइका-आधारित पिगमेंट्स का भी उत्पादन किया जाता है जिनके सत्यापन की आवश्यकता है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद-विशिष्ट लागत अभिलेख रखे हैं और स्वीकृत लागत लेखांकन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए साझा लागतों का आबंटन किया है। लागत आबंटन पद्धति की जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा जांच और सत्यापन किया गया है। गलत आबंटन दर्शाने वाले किसी साक्ष्य के अभाव में, मात्र आरोप क्षति विश्लेषण की विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करता।
62. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि क्षति निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण उच्च स्थिर लागतों के कारण है, यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग को हुई हानियाँ घटी हैं। अतः, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
63. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग को निरंतर हानि हो रही है, जो दर्शाता है कि ऐसी हानियाँ चीन से कम कीमत वाले आयातों के कारण नहीं हैं। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी और प्रति-सब्सिडी जांचों में विचाराधीन उत्पाद का दायरा भिन्न है। पाटनरोधी और प्रतिकारी दोनों उपाय केवल इंडस्ट्रियल ग्रेड नेचुरल माइका पर लागू हैं। अतः, यह दावा कि चीन से समस्त कम कीमत वाले आयात पाटनरोधी और प्रतिकारी दोनों उपायों के अधीन हैं, गलत है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई हानियाँ घटी हैं, नीचे किया गया क्षति विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम है। अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव डाला है। यह भी माना जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी कारक को रेखांकित नहीं किया है जो उनके अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता था। अतः, इन अनुरोधों को अस्वीकार किया जाता है।

एच.3.1 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

a. मांग/खपत का आकलन

64. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से उत्पाद के आयातों के योग के रूप में किया है।

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	153	160
2	संबद्ध देश से आयात	मी.टन	1,183	994	973	809
3	अन्य देशों से आयात	मी.टन	137	219	206	189
4	मांग	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	111	126	124

65. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग बढ़ी है, जबकि जांच अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई है।

b. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
1	संबद्ध देश से आयात	मी.टन	1,183	994	973	809
2	अन्य देशों से आयात	मी.टन	137	219	206	189
3	निम्नलिखित के संबंध में आयात					

a	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	61	52	43
b	भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	76	65	55
c	कुल आयात	%	***	***	***	***

67. यह देखा गया है कि:

- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात घटे हैं।
- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ, उत्पादन और खपत के सापेक्ष आयात भी घटे हैं।

एच.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक घटाने या उन कीमत वृद्धियों को, जो अन्यथा हुई होतीं, महत्वपूर्ण सीमा तक रोकने का है।

a. कीमत कटौती

69. जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की लैंडेड कीमत से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। कीमत कटौती की तुलना पीसीएन-वार आधार पर की गई है।

क्र.सं.	पीसीएन	आयात मात्रा (मी.टन)	लैंड कीमत (रुपये/मी.टन)	एनएसआर (रुपये/मी.टन)	कीमत कटौती (रुपये/मी.टन)	कीमत कटौती (%)
1	A1L	2.500	11,50,129	***	***	***
2	A1R	42.325	11,08,686	***	***	***
3	A1S	0.425	11,72,631	***	***	***
4	A2R	***	17,01,668	***	***	***
5	A2S	40.200	12,51,680	***	***	***
6	A3R	46.380	14,43,659	***	***	***
7	A4R	4.650	15,74,328	***	***	***
8	A4S	1.000	15,47,340	***	***	***
9	A5R	0.025	76,42,017	***	***	***
10	N1L	32.350	3,85,216	***	***	***
11	N1R	164.639	3,67,483	***	***	***
12	N1S	141.395	4,01,128	***	***	***
13	N2L	52.250	5,38,484	***	***	***
14	N2R	116.050	6,69,800	***	***	***
15	N2S	122.758	6,99,214	***	***	***

16	N3R	34.300	5,24,852	***	***	***
17	N4R	1.235	5,25,658	***	***	***
18	N5R	0.100	14,41,891	***	***	***
	कुल / भारित औसत	808.957	6,52,269	***	***	10-20

70. यह देखा गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक है।

b. कीमत अवरोधन और कीमत हास

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को घटा रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक अवरुद्ध करने या उन कीमत वृद्धियों को रोकने का है जो सामान्य क्रम में अन्यथा हुई होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई:

क्र.सं. .	विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	₹/मी.ट न	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकां क	100	101	95	87
2	घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत	₹/मी.ट न	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकां क	100	100	98	97

72. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में देखने पर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों घटी हैं। जहाँ लागत 13 सूचकांक अंक घटी है, वहीं बिक्री कीमत 3 सूचकांक

अंक घटी है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से वह टिके रहने में सक्षम हुआ है और हानियाँ उल्लेखनीय रूप से घटी हैं। घरेलू उद्योग लाभकारी स्तर प्राप्त नहीं कर सका है और इसलिए इसकी कीमतों में हास हुआ है।

1.3.1 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

73. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में प्रस्तुत विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

a. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

74. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	118	118
2	उत्पादन - कुल	मी.टन	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	151	149
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	116	128	126
4	उत्पादन - समान वस्तु	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	159	159
5	घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	153	160
6	निर्यात बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	188	188	186

75. यह देखा गया है:

- i. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान क्षमता का विस्तार किया है। यह कहा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग क्षमता बढ़ाने में सक्षम हुआ है।
- ii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, पर्याप्त मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग अप्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।
- iii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- iv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- v. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग अपने मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार कर सका है।

b. बाजार हिस्सा

76. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, संबद्ध देश और अन्य देशों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है।

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	121	129
2	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	76	65	55
3	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	145	120	111

77. यह देखा गया है कि:

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- अन्य देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में सुधार हुआ है।

c. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

78. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में की गई है।

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	लाभ/(हानि)	₹/मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	-109	-78	-32
2	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	-136	-119	-51
3	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	-144	-128	-47
4	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	-127	-103	40
5	नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	-86	-65	-24

79. यह देखा गया है कि -

- घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि हुई है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान हानि की मात्रा में कमी आई है।
- क्षति अवधि के दौरान नकद हानि और ब्याज-पूर्व हानि में भी कमी आई है। जहां नकद हानि नकद लाभ में परिवर्तित हो गई है, वहीं ब्याज-पूर्व लाभ निरंतर ऋणात्मक बना हुआ है।
- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय निरंतर ऋणात्मक बनी रही।
- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से हुई हानि में कमी आई है। तथापि, घरेलू उद्योग को निरंतर वित्तीय हानि हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उसके निष्पादन में और गिरावट रुकी है और आंशिक सुधार संभव हुआ है।

d. मालसूची

80. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच मालसूची के संबंध में की गई है और इसे नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	मालसूची	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	प्रारंभिक मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	73	166	312
2	अंतिम मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	229	241	286
3	औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	139	198	301

81. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास अंतिम मालसूची में तीव्र वृद्धि हुई है।

e. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
1	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	129	142
2	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	102	105
3	प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	159	159
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	139	156	151

83. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए वेतन और मजदूरी तथा कर्मचारियों की संख्या में सुधार हुआ है। क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

f. वृद्धि

84. नीचे दी गई तालिका में वृद्धि संबंधी जानकारी दर्शाई गई है।

क्र.सं. .	विवरण	माप की इकाई	2023- 24	2024-25	जांच अवधि
1	उत्पादन - समान वस्तु	वर्ष-दर-वर्ष	37%	15%	0%
2	घरेलू बिक्री	वर्ष-दर-वर्ष	25%	22%	5%
3	लाभ/(हानि) प्रति मी.टन	वर्ष-दर-वर्ष	(-) 9%	29%	59%
4	लाभ/(हानि) रुपये लाख	वर्ष-दर-वर्ष	(-) 36%	13%	57%
5	पीबीआईटी, रुपये लाख में	वर्ष-दर-वर्ष	(-) 44%	11%	63%
6	नकद लाभ, रुपये लाख में	वर्ष-दर-वर्ष	(-) 27%	19%	139%

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत, दोनों मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जहां उत्पादन और बिक्री में सुधार हुआ है, वहीं घरेलू उद्योग निरंतर हानि में बना हुआ है, यद्यपि क्षति अवधि के दौरान हानि की मात्रा में कमी आई है।

g. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

86. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, घरेलू उद्योग निरंतर हानि में बना हुआ है। जहां भारत में अन्य प्रकार के पिगमेंट्स के बड़ी संख्या में उत्पादक हैं, वहीं घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक बना हुआ है, क्योंकि पाटित कीमते उसके प्रचालनों पर निरंतर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। पूंजी निवेश जुटाने अथवा नियोजित पूंजी के लिए धन जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

h. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक।

87. आयात आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि भारित औसत कीमत कटौती सकारात्मक है और संबद्ध देश से आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। घरेलू बाजार में कोई अन्य उत्पादक नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों के आधार पर अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित करेगा। अन्य देशों से आयातों की लैंडेड कीमत अधिक है और इसलिए संबद्ध देश से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

i. पाटन की मात्रा

88. जांच से पता चला है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम (डी-मिनिमिस) स्तर से अधिक है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन निरंतर जारी है।

j. क्षति का विश्लेषण

- a. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, तथापि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद आयात निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के सापेक्ष, दोनों ही दृष्टि से निरंतर महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
- b. संबद्ध आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, जबकि भारित औसत कीमत कटौती सकारात्मक है।
- c. पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें लाभकारी स्तर तक बढ़ाने से रोका है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें निरंतर उसकी बिक्री लागत से कम बनी हुई हैं।
- d. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। तथापि, उद्योग निरंतर पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।

- e. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।
- f. जहां घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में सुधार हुआ है, वहीं पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सा निरंतर बना हुआ है।
- g. घरेलू उद्योग को निरंतर महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय और अपर्याप्त नकद लाभ का सामना करना पड़ रहा है।
- h. घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जिसके साथ कीमत संबंधी मानदंडों में भी कुछ सुधार हुआ है। तथापि, कीमत संबंधी मानदंड निरंतर प्रतिकूल बने हुए हैं और टिकाऊ सुधार को नहीं दर्शाते हैं।
- i. संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू उद्योग पर निरंतर महत्वपूर्ण कीमत ह्रास प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे वह अपनी लागत की वसूली और युक्तिसंगत प्रतिफल अर्जित करने से वंचित है।

I. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

I.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

89. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं
- i. क्षति की कोई संभावना नहीं है।
 - ii. रिका टेक्नोलॉजी ने अत्यल्प क्षमता विस्तार किया है।
 - iii. संबद्ध देश में अधिशेष उत्पादन क्षमता का मात्र अस्तित्व अपने आप में यह स्थापित नहीं करता कि ऐसी क्षमता को भारतीय बाजार की ओर मोड़े जाने की संभावना है।
 - iv. आवेदक कथित अधिशेष क्षमताओं के नेचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स (जो विचाराधीन उत्पाद हैं) और सिंथेटिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स (जो पीयूसी के दायरे से बाहर हैं) के बीच विभाजन के संबंध में कोई आंकड़े या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

I.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

90. घरेलू उद्योग ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन जनवादी गणराज्य पर्लेसेंट पिगमेंट्स का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसे सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं, कच्चे माल की उपलब्धता और निर्यात प्रोत्साहनों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें पिगमेंट्स और पिगमेंट आधारित उत्पादों पर 13% निर्यात कर छूट शामिल है।
- ii. चीन की प्रस्तावित 15वीं पंचवर्षीय योजना रसायन उद्योग, नई सामग्रियों, औद्योगिक उन्नयन और निर्यातान्मुखी वृद्धि को बढ़ावा देती है, जिससे पिगमेंट उत्पादकों को निरंतर नीतिगत समर्थन मिलता है।
- iii. चीन के रणनीतिक उभरते उद्योगों के वर्गीकरण (2023) के अंतर्गत माइका आधारित पर्लेसेंट पिगमेंट्स को रणनीतिक उभरते उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. प्रमुख नई सामग्रियों के अनुप्रयोग प्रदर्शन के प्रथम बैच के लिए मार्गदर्शन सूची (2024) उच्च-निष्पादन पिगमेंट्स को औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख नई सामग्रियों के रूप में चिह्नित करती है और औद्योगिक पुनर्संरचना के लिए मार्गदर्शन सूची (2024) पिगमेंट्स को "प्रोत्साहित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करती है, जो निरंतर सरकारी समर्थन को दर्शाता है।
- v. 14वीं पंचवर्षीय योजना भी पर्लेसेंट पिगमेंट उद्योग के महत्व को स्वीकार करती है, जैसा कि प्राधिकारी ने इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच में नोट किया था।
- vi. चीनी उत्पादकों ने पर्याप्त क्षमता विस्तार किया है, जिसमें ग्लोबल न्यू मटेरियल इंटरनेशनल (12,000 मी.टन), फुजियान कुनकाई (20,000 मी.टन), रिका टेक्नोलॉजी (8,000 मी.टन) और लुओहे पर्लेसेंट न्यू मटेरियल्स (2,000 मी.टन) शामिल हैं।
- vii. ये क्षमता वृद्धियां पहले से विद्यमान अतिरिक्त क्षमता के बावजूद की गई हैं और इनका उपयोग विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए किया जा सकता है।
- viii. चीनी पर्लेसेंट पिगमेंट बाजार के 2024 में लगभग 391 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 758 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो उद्योग के निरंतर विस्तार को दर्शाता है।
- ix. चूंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग ने निर्यात प्रवृत्तियों के आकलन हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के रूप में एचएस कोड 320619 के अंतर्गत चीनी निर्यात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

- x. तीसरे देशों को निर्यातों के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 99.7% चीनी निर्यात पाटित और क्षतिकारी थे, जबकि 81.7% निर्यात चीनी निर्यातकों द्वारा भारत में ली गई कीमतों से कम कीमत पर किए गए थे, जो शुल्क के अभाव में भारत की ओर निर्यात के विपथन की प्रबल संभावना को दर्शाता है।
- xi. संबंधित एचएस श्रेणी के अंतर्गत चीन के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो चीनी पर्सेंट पिगमेंट उद्योग की बढ़ती निर्यात अभिमुखता और भारत को निरंतर निर्यात की संभावना को प्रदर्शित करती है।

1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

91. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षा, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार तात्त्विक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।
92. वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या विद्यमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है।
93. इस प्रकार के संभावना विश्लेषण के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जा सकता है, यथा
 - i. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की उल्लेखनीय दर, जो आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
 - ii. निर्यातक की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य क्षमता, या उसकी क्षमता में आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो किसी भी अतिरिक्त निर्यात को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

- iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय हास या अवरोधन प्रभाव होगा और जिनसे और अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी; तथा
 - iv. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।
94. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त अपेक्षाओं पर विचार किया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना है, और यदि ऐसा है, तो क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सभी संगत जानकारी पर भरोसा किया है।
95. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता विस्तार की पृथक जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, प्राधिकारी संबद्ध देश के सहभागी उत्पादकों द्वारा दाखिल जानकारी (परिशिष्ट-1) और घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल जानकारी (प्रोफार्मा IVक) से नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के संयंत्र किसी विशेष रूप (नेचुरल या सिंथेटिक) के इफेक्ट पिगमेंट और किसी विशेष अनुप्रयोग (कॉस्मेटिक, औद्योगिक या ऑटोमोबाइल) के इफेक्ट पिगमेंट के उत्पादन के लिए समर्पित नहीं हैं। घरेलू उद्योग और चीन के उत्पादकों, दोनों ने विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की सूचना दी है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि पृथक क्षमता विस्तार की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह दर्शित हो कि क्षमता विस्तार गैर-विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित नहीं हैं।
- a. निरंतर पाटन।
96. नीचे दी गई तालिका में मूल जांच, मध्यावधि समीक्षा जांच और वर्तमान समीक्षा जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	मूल जांच	मध्यावधि समीक्षा	एसएसआर
1	फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	0-10%	10-20%	30-40%
2	झेजियांग कलरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	भाग नहीं लिया	70-80%	भाग नहीं लिया
3	हेनान लिंगबाओ न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	भाग नहीं लिया	70-80%	भाग नहीं लिया
4	रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	40-50%

97. यह देखा गया है कि चीन से पाटन जारी रहा है। वर्तमान अवधि में पाटन का जारी रहना उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना को दर्शाता है।

b. सामान्य मूल्य से कम पर तीसरे देशों को निर्यात।

98. प्राधिकारी ने सहभागी उत्पादकों के तीसरे देशों को निर्यातों की जांच यह देखने के लिए की है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात संबद्ध सामान्य मूल्य से कम हैं। यह विश्लेषण अपनाई गई पीसीएन पद्धति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नीचे दी गई तालिका में जानकारी का सार दिया गया है।

विवरण	इकाई	कुनकाई	रिका
तीसरे देशों को निर्यात	मी.टन	***	***
सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात	मी.टन	***	***
सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात	%	85-95	90-100

99. यह देखा गया है कि फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के कुल निर्यातों में से जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों को निर्यात मात्रा का 85-95% सामान्य मूल्य से कम है। रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के मामले में 90-100% निर्यात सामान्य मूल्य से कम हैं।

c. गैर-क्षतिकारी कीमत से कम पर तीसरे देशों को निर्यात।

100. प्राधिकारी ने सहभागी उत्पादकों के तीसरे देशों को निर्यातों की जांच यह देखने के लिए की है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात गैर-क्षतिकारी कीमत से कम हैं। यह विश्लेषण अपनाई गई पीसीएन पद्धति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नीचे दी गई तालिका में इसका सार दिया गया है।

विवरण	इकाई	कुनकाई	रिका
तीसरे देशों को निर्यात	मी.टन	***	***
गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर निर्यात	मी.टन	***	***
गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर निर्यात	%	70-80	90-100

101. यह देखा गया है कि फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के कुल निर्यातों में से जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों को निर्यात मात्रा का 70-80% गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है। रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के मामले में यह देखा गया है कि 90-100% निर्यात गैर-क्षतिकारी कीमत से कम हैं। अतः यह माना जाता है कि यदि तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यात भारतीय बाजार की ओर मोड़े जाते हैं, तो वे घरेलू बाजार में ऐसी क्षतिकारी कीमतों पर प्रवेश करेंगे जिनसे घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति होने की संभावना है।

d. निष्क्रिय क्षमताएं।

102. प्राधिकारी ने यह जांचने के लिए कि क्या चीन के उत्पादक निष्क्रिय क्षमताओं के साथ कार्य कर रहे हैं, सहभागी उत्पादकों द्वारा दाखिल परिशिष्ट 1 की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	क्षमता (मी.टन में)	उत्पादन (मी.टन में)	अप्रयुक्त क्षमता (मी.टन में)
1	फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***
2	रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***

103. यह देखा गया है कि अकेले कुनकाई के पास निष्क्रिय क्षमता *** मीट्रिक टन है, जो जांच अवधि के दौरान भारत की संपूर्ण मांग के दोगुने से भी अधिक है।

e. निर्यात अभिमुखता।

104. प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों की निर्यात अभिमुखता की जांच करने के लिए सहभागी उत्पादकों द्वारा दाखिल परिशिष्ट 1 की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	निर्यात बिक्री (मी.टन में)	कुल बिक्री (मी.टन में)	निर्यात अभिमुखता %
1	फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	30-40
2	रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	20-30

105. यह देखा गया है कि दोनों सहभागी उत्पादकों के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं।

106. घरेलू उद्योग ने ऐसे समाचार लेखों की ओर ध्यान दिलाया है जिनसे पता चलता है कि अतिरिक्त क्षमता की स्थिति का सामना करते हुए चीन जन गण का पर्सेंट पिगमेंट उद्योग वर्तमान में संरचनात्मक अति-आपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित क्षमता विस्तारों की ओर ध्यान दिलाया है: -

कंपनी	विस्तार
ग्लोबल न्यू मटेरियल इंटरनेशनल	12,000 मी.टन
फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लि.	20,000 मी.टन
रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लि.	8,000 मी.टन
लुओहे पर्लेसेंट न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	2,000 मी.टन
कुल विस्तार	42,000 मी.टन

107. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादक पहले से ही निष्क्रिय क्षमता के साथ कार्य कर रहे थे (जैसा कि ऊपर जांच की गई है)। उत्पादकों ने आगे और क्षमता विस्तार किया है।

108. घरेलू उद्योग ने यह भी ध्यान दिलाया है कि यदि चीन के निर्यात आंकड़ों की जांच की जाए, तो चीन से निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी दर्शाई गई है।

2022-Q2	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4
2,694	3,229	3,010	3,009	4,041	4,252	4,015
2024-Q1	2024-Q2	2024-Q3	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3
5,023	3,982	4,223	5,782	7,091	10,109	9,963

स्रोत - ट्रेडमैप आंकड़े - 320619

109. घरेलू उद्योग ने ऐसे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिनसे पता चलता है कि चीन सरकार ने पिगमेंट उद्योग को उभरते उद्योग के रूप में मान्यता दी है, जिसके अंतर्गत वह 'प्रमुख उद्योगों' के उन्नयन का प्रस्ताव करेगी और रणनीतिक उभरते औद्योगिक क्लस्टरों के विकास में तेजी लाएगी। चीन जन गण की 15वीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा पर्लेसेंट पिगमेंट उद्योग के विकास पर केंद्रित है।

110. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि चीन जन गण के उत्पादक सुदृढ़ निर्यात अभिमुखता के साथ अपनी उत्पादन क्षमताओं का निरंतर विस्तार करते रहे हैं। उनके उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात बाजारों के लिए अभिप्रेत है, जो बाह्य मांग पर उनकी बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति

की स्थिति में इसकी प्रबल संभावना है कि चीन के उत्पादक इन क्षमताओं का उपयोग भारतीय बाजार को लक्षित करने के लिए करेंगे, जिससे भारतीय बाजार में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

J. कारणात्मक संबंध एवं गैर-आरोपण विश्लेषण

111. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयात के अलावा ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करें जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना रखते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयात के कारण न माना जाए। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की जांच मूल जांच में पहले ही की जा चुकी है, फिर भी प्राधिकारी ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते थे या योगदान देने की संभावना रखते हैं।

a. तीसरे देशों से आयात की मात्रा एवं कीमत

112. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से आयात के अलावा, यूरोपीय संघ से न्यूनतम सीमा (डी-मिनिमिस) से अधिक आयात हुआ था। तथापि, यूरोपीय संघ से आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों और संबद्ध देश से आयात कीमत की तुलना में काफी अधिक हैं। अतः, अन्य देशों से आयात न तो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है और न ही क्षति पहुंचाने की संभावना है।

b. मांग में संकुचन

113. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। अतः, मांग में संभावित गिरावट न तो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है और न ही क्षति पहुंचाने की संभावना है।

c. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

114. यह देखा गया है कि ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो या पहुंचाने की संभावना हो।

d. प्रौद्योगिकी का विकास

115. यह नोट किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, प्रौद्योगिकी का विकास न तो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है और न ही क्षति पहुंचाने की संभावना है।

e. निर्यात निष्पादन

116. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और इन निर्यातों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के पृथक किए गए आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, ऊपर पाई गई क्षति को निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

f. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

117. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, अन्य उत्पादों का निष्पादन न तो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है और न ही क्षति पहुंचाने की संभावना है।

g. पाटन और क्षति की संभावना के बीच कारणात्मक संबंध।

118. ऊपर सूचीबद्ध कारक स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के साथ घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना है।

i. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हो रहा है और पाटन जारी रहा है।

ii. पीसीएन-वार आधार पर देखने पर, संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम कीमतों पर घरेलू बाजार में प्रवेश कर रहा है।

iii. चूंकि आयात कम कीमत वाला है, इसलिए घरेलू बाजार में उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ पाटित आयात के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

- iv. चूंकि आयात में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में समर्थ रहा है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, किंतु वह अब भी निष्क्रिय क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।
- v. घरेलू उद्योग को निरंतर हानि हुई है, किंतु मध्यावधि समीक्षा के बाद हानि में कमी आई है।
- vi. चूंकि आयात लागत और कीमत से कम कीमतों पर घरेलू बाजार में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुंचा रहा है और उपायों की समाप्ति की स्थिति में आगे और क्षति पहुंचाने की संभावना है।
- vii. संबद्ध देश के उत्पादक निष्क्रिय क्षमताओं और निर्यात अभिमुखता के साथ कार्य कर रहे हैं। यदि पाटनरोधी उपाय समाप्त हो जाते हैं, तो संबद्ध देश के उत्पादक भारतीय बाजार को निर्यात बढ़ा देंगे।
- viii. संबद्ध देश के उत्पादक आगे और क्षमता विस्तार कर रहे हैं।
- ix. चीन सरकार ने पिगमेंट उद्योग को उभरता उद्योग माना है और चीन जन गण की 15वीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा पर्लेसैंट पिगमेंट उद्योग के विकास पर केंद्रित है।
- x. उपाय की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

K. क्षति मार्जिन का परिमाण

119. प्राधिकारी ने यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली, जिसे अनुबंध-III के साथ पढ़ा जाए, में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से लैंडेड कीमत की तुलना करने हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और यूटिलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अपवर्जित किया गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में यथानिर्धारित एनआईपी पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्

औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर युक्तिसंगत प्रतिफल (कर-पूर्व 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया।

120. लैंडेड मूल्य का निर्धारण भारत को निर्यात के सीआईएफ मूल्य के साथ-साथ 7.5 प्रतिशत के लागू मूल सीमा शुल्क और उस पर समाज कल्याण अधिभार, जो कुल मिलाकर 8.25 प्रतिशत होता है, के रूप में किया गया है। एफओबी और सीएफआर शर्तों पर बिक्री के लिए, सीआईएफ मूल्य के निर्माण हेतु निर्यातकों द्वारा समुद्री भाड़ा और बीमा के मद में किए गए समायोजनों को यथादावा बनाए रखा गया है।
121. ऊपर यथानिर्धारित लैंडेड कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है। क्षति मार्जिन का निर्धारण पीसीएन-वार किया गया है और तत्पश्चात भारित औसत क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	कुनकाई	रिका	कोई अन्य उत्पादक
भारत को निर्यातित मात्रा	मी.टन	***	***	***
गैर-क्षतिकारी कीमत, भारित औसत	अमेरिकी डॉलर/मी.टन	***	***	***
लैंडेड मूल्य, भारित औसत	अमेरिकी डॉलर/मी.टन	***	***	***
क्षति मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी.टन	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज (%)	10-20	20-30	30-40

L. भारतीय उद्योग का हित

L.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

122. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. भारत चीन जन गण को प्रमुख कच्चे माल, अर्थात् नेचुरल माइका का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और इसलिए पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण से चीन को नेचुरल माइका के भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ii. देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है।
- iii. आवेदक घरेलू और आयात, दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित एक संरक्षित एकाधिकार स्थिति का उपभोग कर रहा है।
- iv. उत्पाद वर्तमान में मूल जांच में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क तथा 28 मार्च 2025 को लगाए गए प्रतिकारी शुल्क द्वारा संरक्षित है।
- v. आवेदक की अपनी स्वीकारोक्ति कि उसकी क्षमता अन्य उत्पाद लाइनों के साथ साझा है, निरंतर संरक्षण के लिए आपूर्ति-सुरक्षा के औचित्य के किसी भी दावे को निर्बल करती है।
- vi. लगाए गए प्रतिकारी शुल्क को देखते हुए, अनुप्रवाही भारतीय पेंट और कोटिंग उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्तमान समीक्षा में नए सिरे से आकलन किया जाना अपेक्षित है।

L.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध।

123. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- a. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से पेंट में किया जाता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद केवल रंजक एजेंट के रूप में जाता है और यह फीडस्टॉक कच्चा माल नहीं है।
- b. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के पेंट में 0.27-0.5% और औद्योगिक अनुप्रयोग के पेंट के मामले में 0.53-0.63% है।

- c. घरेलू उद्योग के पास भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- d. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू था। शुल्क के लागू रहने के बावजूद, ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है जो यह दर्शाती हो कि अनुप्रवाही उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।
- e. चीन से आयात कीमतें सभी पीसीएन में अन्य स्रोतों की तुलना में लगातार और उल्लेखनीय रूप से कम हैं। जब उपभोक्ताओं ने अन्य देशों से ऊंची कीमतों पर खरीद की है, तो यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयात पर पाटनरोधी शुल्क उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता।

L.3 प्राधिकारी द्वारा जांच।

124. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी शुल्क का निरंतर अधिरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी तथा घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने पर आधारित है।
125. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है, उपलब्ध करा सकें। प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अंतर-विनिमेयता, स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, तथा पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से उत्पन्न नई स्थिति के अनुकूल समायोजन को त्वरित या विलंबित करने की संभावना रखने वाले कारकों के बारे में जानकारी मांगी।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके।
127. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग एक निर्यातोन्मुख इकाई है और मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। यद्यपि घरेलू उद्योग का संयंत्र विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है, फिर भी यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध निष्क्रिय क्षमता संबंध देश से आयात द्वारा पूरी की जा रही मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अतः, हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण आयात को प्रतिबंधित नहीं करता। आयात उचित कीमतों पर जारी रहेगा। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करे और विदेशी निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बना रहे।
128. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली घरेलू उद्योग और प्रयोक्ताओं द्वारा दाखिल की गई। तथापि, प्रयोक्ताओं ने अनुप्रवाही उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणन नहीं किया है।
129. प्राधिकारी ने मेसर्स कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड, जो निर्धारित आंकड़ा अनुबंध दाखिल करने वाला एकमात्र प्रयोक्ता है, के प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर में दाखिल जानकारी की, जिस सीमा तक ऐसी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जांच की है ताकि अनुप्रवाही उत्पाद की लागत में विचाराधीन उत्पाद के हिस्से और उस पर शुल्क के प्रभाव का निर्धारण किया जा सके। स्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	मूल्य
1	डाउनस्ट्रीम उत्पाद में उपभोग किए गए विचाराधीन उत्पाद की लागत	रुपये	***
2	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल बिक्री लागत	रुपये	***
3	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा (1/2)	%	5-10
4	जांच अवधि में संबद्ध आयातों की लैंडेड कीमत	रुपये/मी.टन	6,52,269
5	मेसर्स फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो जांच अवधि में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क	अमेरिकी डॉलर/मी.टन	299
6	1 अमेरिकी डॉलर = 86.76 रुपये की दर पर पाटनरोधी शुल्क	रुपये/मी.टन	25,941
7	शुल्क के कारण विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि (6/4)	%	0-5
8	शुल्क के कारण डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में वृद्धि (3 x 7)	%	<1

130. यह देखा गया है कि भाग लेने वाले प्रयोक्ता द्वारा दाखिल की गई जानकारी के अनुसार, प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में ***% की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्रयोक्ता ने जांच अवधि में *** करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है, जो उसकी बिक्री की कुल लागत का ***% है। इस प्रकार शुल्क के कारण लागत में वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योग को उपलब्ध मार्जिन का एक छोटा अंश है, और यदि प्राधिकारी उपायों को बढ़ाना उचित समझते हैं तो पाटनरोधी शुल्क उस उद्योग के लिए बहुत कम लागत वाला होगा।

131. घरेलू उद्योग ने इस धारणा पर कि शुल्क के परिणामस्वरूप 667 रुपये प्रति कि.ग्रा. की लैंडेड कीमत पर 10% की कीमत वृद्धि होती है, डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का अलग से परिमाणन किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किया गया परिमाणन नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। लागत और प्रभाव का वर्णन करने वाली पंक्तियों में आंकड़े पेंट के प्रति लीटर हैं और प्रतिशत पेंट की कीमत पर व्यक्त किए गए हैं।

ऑटोमोटिव अनुप्रयोग

विवरण	माप की इकाई	दोपहिया वाहन	कार	ट्रक
1 लीटर पेंट में प्रयुक्त माइका	कि.ग्रा./लीटर	0.02-0.15	0.02-0.15	0.02-0.15
पेंट की कीमत	रुपये/लीटर	500-2,000	500-2,000	500-2,000
माइका पिगमेंट की लैंडेड कीमत	रुपये/कि.ग्रा.	667	667	667
1 लीटर पेंट में माइका पिगमेंट की लागत	रुपये/लीटर	13-100	13-100	13-100
पेंट की कीमत में माइका पिगमेंट की लागत का हिस्सा	%	2.67-5.00	2.67-5.00	2.67-5.00
घरेलू उद्योग द्वारा मानी गई कीमत वृद्धि (पाटनरोधी शुल्क)	%	10	10	10
घरेलू उद्योग द्वारा मानी गई कीमत वृद्धि	रुपये/कि.ग्रा.	67	67	67
1 लीटर पेंट पर शुल्क का प्रभाव	रुपये/लीटर	1-10	1-10	1-10

विवरण	माप की इकाई	दोपहिया वाहन	कार	ट्रक
पेंट की कीमत के हिस्से के रूप में शुल्क का प्रभाव	%	0.27-0.50	0.27-0.50	0.27-0.50
वाहन में प्रयुक्त पेंट (उद्योग का अनुमान)	लीटर	0.5	4	8.5
वाहन में पेंट की लागत	रुपये	250-1,000	2,000-8,000	4,250-17,000
वाहन में माइका पिगमेंट की लागत	रुपये	6.67-50.04	53.38-400.32	113.42-850.69
वाहन पर शुल्क का प्रभाव	रुपये	0.67-5.00	5.34-40.03	11.34-85.07

औद्योगिक अनुप्रयोग

विवरण	माप की इकाई	हल्की मशीनरी	भारी मशीनरी	औद्योगिक टैंक	खनन उपकरण
1 लीटर पेंट में प्रयुक्त माइका	कि.ग्रा./लीटर	0.02-0.15	0.02-0.15	0.02-0.15	0.02-0.15
पेंट की कीमत	रुपये/लीटर	500-1,100	500-1,100	500-1,100	500-1,100
माइका पिगमेंट की लैंड कीमत	रुपये/कि.ग्रा.	667	667	667	667
1 लीटर पेंट में माइका पिगमेंट की लागत	रुपये/लीटर	13-100	13-100	13-100	13-100

विवरण	माप की इकाई	हल्की मशीनरी	भारी मशीनरी	औद्योगिक टैंक	खनन उपकरण
पेंट की कीमत में माइका पिगमेंट की लागत का हिस्सा	%	2.67-9.10	2.67-9.10	2.67-9.10	2.67-9.10
घरेलू उद्योग द्वारा मानी गई कीमत वृद्धि	%	10	10	10	10
घरेलू उद्योग द्वारा मानी गई कीमत वृद्धि	रुपये/कि.ग्रा.	67	67	67	67
1 लीटर पेंट पर शुल्क का प्रभाव	रुपये/लीटर	1-10	1-10	1-10	1-10
पेंट की कीमत के हिस्से के रूप में शुल्क का प्रभाव	%	0.27-0.91	0.27-0.91	0.27-0.91	0.27-0.91
उपकरण में प्रयुक्त पेंट (उद्योग का अनुमान)	लीटर	3	17	95	110
उपकरण में पेंट की लागत	रुपये	1,500-3,300	8,500-18,700	47,500-1,04,500	55,000-1,21,000
उपकरण में माइका पिगमेंट की लागत	रुपये	40.03-300.24	226.85-1,701.37	1,267.69-9,507.67	1,467.85-11,008.88
उपकरण पर शुल्क का प्रभाव	रुपये	4.00-30.02	22.68-170.14	126.77-950.77	146.79-1,100.89

132. यह देखा गया है कि भाग लेने वाले प्रयोक्ता द्वारा दाखिल की गई जानकारी के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए परिमाणन के अनुसार डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है। यह भी देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्कों के

अधिरोपण से घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बने रहने में समर्थ हुआ है। घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार दर्ज किया है और हानियों में कमी आई है। इस प्रकार पाटनरोधी उपायों ने घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता का विस्तार करके निवेश करने में समर्थ बनाया है।

M. प्रकटन के पश्चात टिप्पणियाँ

133. जांच के उन आवश्यक तथ्यों को समाविष्ट करने वाला प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बने हैं, 21 अगस्त 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया और हितबद्ध पक्षकारों को एक सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकटन के पश्चात टिप्पणियाँ घरेलू उद्योग से तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुईं, जैसा कि नीचे दर्ज है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों और हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर, इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक वे प्रासंगिक, अपुनरावृत्त और साक्ष्य द्वारा समर्थित पाई गईं।

एम.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ

134. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड को एक नया उत्पादक/निर्यातक होने के कारण व्यक्तिगत शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास की निर्णायक समीक्षा प्रतिकारी शुल्क जांच में सहयोग करने वाले नए उत्पादकों को व्यक्तिगत शुल्क प्रदान किया है।
- ii. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए आयातों की प्रकृति और परिस्थितियों की जांच नहीं की है। आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात का कोई कारण नहीं बताया है और तदनुसार वह घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अपात्र है।
- iii. आवेदक को, यदि कोई क्षति हुई है, तो वह निर्यात बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट के कारण उत्पादन में कमी से प्रति इकाई नियत लागत में वृद्धि के कारण हुई है।

- iv. जांच अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि ने आवेदक की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि की है और यही आवेदक को क्षति का कारण है।
- v. शुल्क 2005 से रुक-रुक कर प्रवृत्त हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आवेदक उद्योग अपनी अकुशलताओं के कारण प्रभावित हो रहा है, न कि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के कारण।
- vi. प्रत्युत्तर अनुरोधों का अगोपनीय संस्करण सेतु पोर्टल पर परिचालित न किए जाने की स्थिति में, यदि आवेदक ने अपने प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल किए हैं, तो प्रक्रियात्मक अधिदेश के उल्लंघन के कारण उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए।
- vii. शुल्क की सिफारिश के प्रयोजन से विचार किए जाने वाले एचएस कोडों को पहले के उपशीर्ष 320611 से बढ़ाकर 32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790 और 32071040 करके शुल्क सारणी के दायरे का विस्तार करना वर्तमान समीक्षा के दायरे से बाहर है।
- viii. प्रकटन में कई ऐसे कथन हैं जो निर्णायक समीक्षा के आवश्यक तत्वों, अर्थात् पाटन के अस्तित्व, क्षति की संभावना और कारणात्मक संबंध पर निर्णायक निर्धारण देते हैं।
- ix. बैठक के कार्यवृत्त में एसोसिएशन के आंतरिक विचार-विमर्श में गोपनीय व्यावसायिक जानकारी तथा चल रही जांचों और मुकदमों के विवरण शामिल हैं, जिन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन का प्राधिकार पत्र उसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है और दो सदस्य कंपनियों, अर्थात् मेसर्स कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और मेसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा दाखिल प्रश्नावली के उत्तर यह प्रदर्शित करते हैं कि उसके सदस्य वर्तमान जांच में उसकी भागीदारी से अवगत हैं और उन्होंने इसे प्राधिकृत किया है।
- x. संबद्ध आयात कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव के बावजूद, आवेदक की बिक्री कीमतें मोटे तौर पर स्थिर रहीं, जबकि उसकी बिक्री की लागत में 13 सूचकांक बिंदुओं की गिरावट आई, जो यह दर्शाता है कि बिक्री कीमतों में मामूली कमी आयात कीमत अवरोधन के बजाय उसकी अपनी लागत संरचना के कारण थी।
- xi. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है वे विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हैं और मोटे तौर पर पर्लेसेंट पिगमेंट्स बाजार से संबंधित हैं।

- xii. यदि यह मान भी लिया जाए कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में क्षमता विस्तार हुआ है, तो भी इससे यह तर्क सिद्ध नहीं होता कि उन क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात के लिए किए जाने की संभावना है।
- xiii. वर्तमान जांच में अतिव्यापी उपायों के अधिरोपण या जारी रहने से बचने के लिए, विद्यमान प्रतिकारी शुल्क के प्रभावों को पाटन के कारण होने वाले प्रभावों से उचित रूप से अलग किया जाना चाहिए और उन्हें पृथक (डीक्युमुलेट) किया जाना चाहिए।
- xiv. मांग-आपूर्ति के अंतर की चिंताएँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि एकमात्र उत्पादक होने के बावजूद आवेदक निर्यात-अभिमुख है।
- xv. आवेदक निर्यात बाजारों में उन्हीं चीनी उत्पादकों के साथ सशक्त रूप से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ है, जिनके बारे में वह दावा करता है कि वे भारतीय बाजार में उसे क्षति पहुंचा रहे हैं
- xvi. प्राधिकारी ने वह डेटा प्रकट नहीं किया है जिसके आधार पर औसत नियोजित पूंजी पर 22% की दर मानी गई है। नियोजित पूंजी पर दर के लिए अपनाया गया मूल्य संबंधित उद्योग में आय की ऐतिहासिक दरों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

एम.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

135. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा जांचे गए कारक यह दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी रहा है और यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाना जारी रखे हुए है।
- ii. यदि पाटित आयात न होते, तो आवेदक संपूर्ण घरेलू बाजार के लिए उत्पादन कर उसकी आपूर्ति कर सकता था। उत्पाद का पाटन आवेदक को परिचालन के वांछित स्तर तक पहुंचने से रोक रहा है।
- iii. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा जांचे गए कारक यह दर्शाते हैं कि विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में, इस बात की प्रबल संभावना है कि चीन के उत्पादक भारतीय बाजार को लक्षित करने के लिए इन क्षमताओं का उपयोग करेंगे, जिससे भारतीय बाजार में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

- iv. यद्यपि वर्तमान जांच के दायरे और प्रतिकारी शुल्क उपायों के अधीन उत्पाद के दायरे में कुछ अतिव्यापन है, दोहरे अतिव्यापी उपाय के मुद्दे का समाधान चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या वहां से निर्यातित, ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए इफेक्ट पिगमेंट्स को छोड़कर, इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स या माइका पर्लेसेंट पिगमेंट्स पर प्रतिकारी शुल्क जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों और तत्पश्चात जारी शुद्धिपत्र के माध्यम से किया जा चुका है।
- v. प्रयोक्ताओं द्वारा पूर्व में तथा वर्तमान जांच में यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शुल्क डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। विद्यमान शुल्कों के जारी रहने से प्रयोक्ताओं के लिए कोई नई या अतिरिक्त लागत नहीं होगी। ये शुल्क पहले से ही कुछ वर्षों से प्रवृत्त हैं और वर्तमान बाजार कीमतों में पहले से ही सम्मिलित हैं।
- vi. 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कम अवधि से आवेदक को पाटित आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।
- vii. चूंकि विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है, अतः प्राधिकारी शुल्क सारणी में इन कोडों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी निर्दिष्ट कर सकते हैं कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

एम.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

136. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन के पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि इनमें से अधिकांश टिप्पणियाँ पहले किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी इन जांच परिणामों में संबंधित स्थानों पर पहले ही जांच की जा चुकी है और उनका समाधान किया जा चुका है। नए सिरे से उठाए गए या आगे जांच की अपेक्षा रखने वाले मुद्दों का समाधान नीचे किया गया है।
137. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में दोहराए गए इस तर्क के संबंध में कि मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध करने के लिए दिया गया समय कम था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 6 के अनुसार मौखिक

सुनवाई में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित समय के भीतर लिखित अनुरोधों के माध्यम से अपने मौखिक अनुरोधों की अनुपूर्ति करें। तथापि, प्राधिकारी यह नहीं मानते कि सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध दाखिल करना अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का उत्तर देने या उनका खंडन करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। प्राधिकारी ने इस प्रयोजन के लिए प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने के माध्यम से एक अलग अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार, प्रक्रियात्मक ढांचा सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोधों, जो पक्षकार के अपने मौखिक अनुरोधों को रिकॉर्ड पर रखते हैं, और प्रत्युत्तर अनुरोधों, जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का उत्तर देने का अवसर प्रदान करते हैं, के बीच भेद करता है। सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने की समय-सारणी हितबद्ध पक्षकारों को 8 जुलाई 2026 को अधिसूचित की गई थी, जो लिखित अनुरोधों की नियत तिथि 19 जुलाई 2026 से ग्यारह दिन पहले और स्वयं सुनवाई से आठ दिन पहले थी, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने के लिए सात दिनों की अतिरिक्त अवधि दी गई, जिसकी अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 थी। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोधों का उद्देश्य सुनवाई में मौखिक रूप से प्रस्तुत अनुरोधों को रिकॉर्ड पर रखना है, और इंडियन पेंट एसोसिएशन ने वास्तव में 19 जुलाई 2026 को अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत लिखित अनुरोध दाखिल किए थे। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी मानते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध रिकॉर्ड पर रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। अतः यह तर्क कि नियम 6 हितबद्ध पक्षकारों को, प्रत्युत्तर अनुरोधों के लिए अलग से निर्धारित अवसर के बावजूद, सुनवाई के पश्चात अपने लिखित अनुरोधों में अन्य पक्षकारों के अनुरोधों का सारभूत खंडन सम्मिलित करने की अनुमति देता है, स्वीकार नहीं किया जाता।

138. रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के इस तर्क के संबंध में कि कंपनी एक नया उत्पादक/निर्यातक होने के कारण उसे व्यक्तिगत शुल्क प्रदान किया जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत एक निर्णायक समीक्षा है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि विद्यमान पाटनरोधी उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। अतः निर्णायक समीक्षा मुख्यतः विद्यमान उपाय के

जारी रहने या समाप्त होने से संबंधित है और केवल भागीदारी और सहयोग के कारण, उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्हें विद्यमान उपाय के अंतर्गत व्यक्तिगत दर प्रदान नहीं की गई थी, नए व्यक्तिगत शुल्क निर्धारण की अपेक्षा नहीं करती। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड को प्रवृत्त उपाय के अंतर्गत व्यक्तिगत शुल्क दर प्रदान नहीं की गई थी, और ऐसे उत्पादक/निर्यातक के लिए, जिसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, उपलब्ध उपचार नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत समीक्षा है, जिसकी मांग उसमें निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर की जा सकती है। प्राधिकारी मानते हैं कि निर्णायक समीक्षा के चरण में शुल्क की नई मात्रा निर्धारित करने का कोई विधिक दायित्व नहीं है, क्योंकि निर्णायक समीक्षा के चरण में संगत मानदंड पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

139. आवेदक द्वारा किए गए आयातों की प्रकृति से संबंधित टिप्पणियों के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि ऐसे आयात वाणिज्यिक बिक्री या नियमित व्यापार के प्रयोजनों के लिए नहीं किए गए थे। प्राधिकारी ने अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए आयातों की कुल मात्रा नगण्य थी, जो जांच अवधि के दौरान चीन से 809 मीट्रिक टन के कुल आयातों के 1% से कम और घरेलू उद्योग के उत्पादन के 1% से कम थी। ऐसे आयातों की नगण्य मात्रा को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए आयात ऐसी प्रकृति या परिमाण के नहीं हैं कि आवेदक को घरेलू उद्योग का भाग माने जाने के लिए अपात्र ठहराया जाए।
140. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर अनुरोधों का अगोपनीय संस्करण सेतु प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्युत्तर अनुरोध निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त हुए थे और उन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया था। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यह तर्क उठाने वाले हितबद्ध पक्षकार को छोड़कर, प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी उनका अगोपनीय संस्करण सेतु प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा था। अतः यह स्थिति केवल घरेलू उद्योग तक सीमित नहीं है।

141. प्राधिकारी मानते हैं कि प्रत्युत्तर अनुरोध अपनी प्रकृति से ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहले से किए गए अनुरोधों के उत्तर होते हैं, जिन्हें स्वयं रिकॉर्ड पर रखा गया था और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। प्रत्युत्तर का उद्देश्य पक्षकारों के बीच पहले से उठाए गए मुद्दों पर निष्पक्ष निर्धारण तक पहुंचने में प्राधिकारी की सहायता करना है, न कि कोई नया मामला प्रस्तुत करना। घरेलू उद्योग के अनुरोध, जिनमें प्रत्युत्तर के माध्यम से किए गए अनुरोध भी शामिल हैं, जिस सीमा तक प्रासंगिक पाए गए, उन्हें 21 अगस्त 2026 को जारी प्रकटन विवरण में उन पर प्राधिकारी की जांच के साथ निर्धारित किया गया था, और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकार ने उस अवसर का लाभ उठाया है और वर्तमान निर्धारण इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात किया गया है। अतः यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हितबद्ध पक्षकार को घरेलू उद्योग के किसी ऐसे अनुरोध का उत्तर देने के अवसर से वंचित किया गया हो जिस पर प्राधिकारी ने विचार किया है।
142. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सेतु प्लेटफॉर्म पर दाखिल अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण प्रत्युत्तर दाखिल करने की समय-सीमा समाप्त होने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे, और हितबद्ध पक्षकार के लिए उसी चरण में इस मामले को प्राधिकारी के संज्ञान में लाना संभव था। तथापि, यह तर्क पहली बार प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के माध्यम से उठाया गया है। किसी भी स्थिति में, हितबद्ध पक्षकार ने इस कारण से उसे हुए किसी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि विचाराधीन आवश्यक तथ्य, जिनमें घरेलू उद्योग के वे अनुरोध भी शामिल हैं जिन पर विश्वास किया गया, प्रकटन विवरण के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे और उन पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह अनुरोध स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
143. गैर-क्षतिकारी कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% आय की पद्धति पर विचार किए जाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-III में नियोजित पूंजी पर युक्तिसंगत आय (कर-पूर्व) का उल्लेख है और नियोजित पूंजी पर युक्तिसंगत आय, जो 22% है, के आधार पर

घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करना प्राधिकारी की सतत प्रथा है। वर्तमान मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वर्तमान मामले के लिए 22% से कम आय उपयुक्त होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि माननीय सीईएसटीएटी ने Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority और Perstorp Chemicals GmbH v. Designated Authority में नियोजित पूंजी पर 22% आय लागू करने की प्राधिकारी की प्रथा को सही ठहराया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि न तो नियमावली का अनुबंध-III और न ही प्राधिकारी की सतत प्रथा यह अपेक्षा करती है कि आय की दर संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ऐतिहासिक आय से व्युत्पन्न की जाए, और उक्त दर सभी जांचों में एकरूपता से लागू की गई है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण के प्रयोजन से औसत नियोजित पूंजी पर 22% आय अपनाया उपयुक्त मानते हैं।

144. हितबद्ध पक्षकारों की इन टिप्पणियों के संबंध में कि आवेदक को हुई क्षति, यदि कोई हो, क्षमता विस्तार के कारण प्रति इकाई स्थिर लागत में वृद्धि तथा उसकी निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन तर्कों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों के पैरा 60 और 62 में पहले ही की जा चुकी है।
145. इंडियन पेंट एसोसिएशन की इन टिप्पणियों के संबंध में कि जिस बैठक में एसोसिएशन ने जांच में भाग लेने का निर्णय लिया था उसका कार्यवृत्त गोपनीय प्रकृति का है और प्राधिकारी को प्रकट नहीं किया जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर्थिक हित प्रश्नावली में यह अपेक्षा की गई है कि जांच में भाग लेने वाला प्रत्येक एसोसिएशन उस बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत करे जिसमें भाग लेने का निर्णय लिया गया था, साथ ही उन सदस्यों की सूची भी प्रस्तुत करे जिन्होंने निर्णय का समर्थन किया, विरोध किया या तटस्थ रहे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडियन पेंट एसोसिएशन ने उक्त कार्यवृत्त प्राधिकारी को भी उपलब्ध कराने में गोपनीयता का दावा किया है, विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने की तो बात ही छोड़ दें। एसोसिएशन ने आर्थिक हित प्रश्नावली का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया, और प्रकटन विवरण जारी होने से पहले किसी भी चरण में उसने यह दावा नहीं किया कि जानकारी गोपनीय है और इसलिए प्रदान नहीं की जा सकती। जांच के दौरान, जब एसोसिएशन से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा

गया, तो उसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका अभिरक्षक देश से बाहर है, और उसने उपलब्ध होने पर इसे प्रदान करने का वचन दिया। उसने इसके पश्चात और आज तक ऐसा नहीं किया। अतः प्रकटन विवरण के पश्चात पहली बार उठाया गया गोपनीयता का तर्क बाद में सोची गई बात है और एसोसिएशन के अपने पूर्व रुख से असंगत है। किसी भी स्थिति में, गोपनीयता अपने आप में प्राधिकारी से जानकारी रोके रखने को उचित नहीं ठहराती। पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 अपेक्षित औचित्य और अगोपनीय सारांश प्रदान किए जाने के अधीन, जानकारी को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। उक्त गोपनीयता प्रावधान अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जानकारी के प्रकटन के संबंध में हैं और उस जानकारी पर लागू नहीं होते जो प्राधिकारी को प्रदान किया जाना अपेक्षित है। यदि एसोसिएशन गोपनीयता का दावा करना भी चाहता था, तो वह असंबद्ध चर्चाओं को यथोचित रूप से हटाकर कार्यवृत्त के प्रासंगिक उद्धरण प्रस्तुत कर सकता था। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि जिस अन्य सामग्री पर विश्वास किया गया है वह सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किए जाने को स्थापित नहीं करती। यह कथन कि अध्यक्ष ने पत्र को प्राधिकृत किया, केवल एक पदाधिकारी के प्राधिकार को दर्शाता है। यह नहीं दर्शाता कि सदस्यों ने वर्तमान जांच में भाग लेने का संकल्प लिया था। मेसर्स कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और मेसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के प्रश्नावली के उत्तर केवल यह दर्शाते हैं कि इन दो कंपनियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का विकल्प चुना। वे एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के विचारों के बारे में, या इस बारे में कि कितने सदस्यों ने भाग लेने का समर्थन किया, विरोध किया या तटस्थ रहे, कुछ नहीं कहते। चूंकि एसोसिएशन ने विशिष्ट अवसरों के बावजूद जानकारी प्रस्तुत नहीं की, प्राधिकारी उसकी प्रतिनिधित्व-क्षमता की सीमा का सत्यापन करने में असमर्थ रहे हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मेसर्स कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और मेसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के ऐसे उत्तर दाखिल किए हैं जिनमें तात्त्विक रूप से अपूर्ण जानकारी है। यद्यपि प्रयोक्ताओं ने बार-बार यह तर्क दिया है कि मौखिक सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समय के पर्याप्त विस्तार और बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपेक्षित प्रश्नावली का उत्तर पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इंडियन पेंट

एसोसिएशन, मेसर्स कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और मेसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड जांच में अपनी पूर्ण क्षमता से पूरा सहयोग करने में विफल रहे हैं।

146. वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन से विचार किए जाने वाले एचएस कोड के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा फा. सं. 7/17/2022-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2023 के माध्यम से अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में पहचाने गए और विचार किए गए एचएस कोड के संदर्भ में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन से केवल उन्हीं एचएस कोड पर विचार किया गया है जो उपर्युक्त अंतिम जांच परिणाम का भाग थे।
147. हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकारी द्वारा विश्वास किए गए साक्ष्य विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हैं और इसके बजाय व्यापक रूप से पर्लेसेंट पिगमेंट्स बाजार से संबंधित हैं, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपने निष्कर्षों तक पहुंचने में उन्होंने अपने समक्ष उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य पर विश्वास किया है, जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सामग्री भी शामिल है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य या सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है जो यह प्रदर्शित करे कि प्राधिकारी द्वारा विश्वास की गई जानकारी विचाराधीन उत्पाद पर लागू नहीं होती। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों और जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित संभावना विश्लेषण किया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते कि उक्त जानकारी पर वर्तमान जांच के प्रयोजनों से विश्वास नहीं किया जा सकता।
148. इस अनुरोध के संबंध में कि अतिव्यापी उपचारों के अधिरोपण या जारी रहने से बचने के लिए विद्यमान प्रतिकारी शुल्क के प्रभावों को पाटन के कारण होने वाले प्रभावों से उचित रूप से अलग और पृथक किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों उपायों के बीच अतिव्यापन के प्रश्न की, जिसमें संबंधित उत्पादों के दायरे से संबंधित प्रश्न भी शामिल है, चीन जन गण में उत्पन्न या वहां से निर्यातित, ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए इफेक्ट पिगमेंट्स को छोड़कर, इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स या माइका पर्लेसेंट पिगमेंट्स

से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों और शुद्धिपत्र में जांच की गई है और उसका समाधान किया गया है, जिनमें प्रतिकारी शुल्क के अधिरोपण के लिए अपनाई गई पद्धति निर्धारित की गई है। इसमें सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने को उसके अनुरूप प्रभावी किया जाना है, ताकि अधिनियम की धारा 9ख(1)(घ) के अर्थ के अंतर्गत एक ही स्थिति की प्रतिपूर्ति के लिए संबद्ध वस्तु पर दोनों शुल्क न लगाए जाएं। तदनुसार, वर्तमान जांच में इस कारण से कोई और समायोजन आवश्यक नहीं है।

149. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क 2005 से रुक-रुक कर लागू रहे हैं और घरेलू उद्योग की स्थिति उसकी अपनी अक्षमताओं के कारण है, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच पहली निर्णायक समीक्षा जांच है। 2005 में अधिरोपित शुल्कों को पांच वर्ष की अगली अवधि के लिए बढ़ाया गया था और उसके पश्चात वे समाप्त हो गए थे। शुल्क की समाप्ति और 2021 में मूल जांच में शुल्क के अधिरोपण के बीच पर्याप्त अंतराल था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक समीक्षा एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका निर्धारण संबंधित जांच अवधि से संबंधित तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। मात्र यह तथ्य कि उपाय काफी लंबी अवधि तक लागू रहे हैं, अपने आप में उनके जारी रहने को नहीं रोकता जहां रिकॉर्ड यह स्थापित करता है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कुछ मानदंडों में दर्ज सुधार लागू उपायों के कारण है, और ऐसे सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि जारी है।

N. निष्कर्ष

150. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच अधिनियम की धारा 9क(5) सहपठित नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या चीन जन गण में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स" के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है।
- ii. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 32 के अंतर्गत उपशीर्ष 3206 11 के तहत वर्गीकृत किया गया है। मध्यावधि समीक्षा के अनुसरण में, शुल्कों को उपशीर्ष 3206 49 90, 3206 19 00, 3204 17 59, 3204 17 39, 3204 17 20, 3204 17 90 और 3207 10 40 के अंतर्गत आयात पर भी विस्तारित किया गया था, और वर्तमान जांच में उन्हीं कोड पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- iii. घरेलू और आयातित उत्पादों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने और पाटन स्थापित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन प्रणाली अपनाई है और पीसीएन-वार आंकड़ों पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन स्थापित किया है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' है।
- v. निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए आवेदन सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- vi. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है, और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार अधिकारिता के मानदंड को पूरा करता है।
- vii. चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति की धारणा का खंडन करने हेतु बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दाखिल नहीं की। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत भारत में देय कीमत के आधार पर, भारत में इष्टतम उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए तथा युक्तिसंगत प्रशासनिक, विक्रय एवं सामान्य लागतों और लाभ के लिए विधिवत समायोजित करते हुए किया गया है।
- viii. चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम (डी मिनिमिस) स्तर से अधिक है।

- ix. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई है।
- x. संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में 10-20% की कटौती करना जारी रखे हुए हैं।
- xi. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार संभव हुआ है। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है, तथापि उपलब्ध क्षमता का एक बड़ा भाग अप्रयुक्त बना हुआ है।
- xii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात विचाराधीन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा भी प्राप्त किया है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात घरेलू उद्योग को हुई हानि में कमी आई है।
- xiv. यदि चीन जनवादी गणराज्य के तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यात भारतीय बाजार की ओर मोड़ दिए जाते हैं, तो वे घरेलू बाजार में क्षतिकारी कीमतों पर प्रवेश करेंगे, जिससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति होने की संभावना है। फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के मामले में तीसरे देशों को किए गए निर्यात का 70-80% क्षतिकारी है और रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के मामले में 90-100% निर्यात क्षतिकारी है।
- xv. अकेले फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की निष्क्रिय क्षमता *** मी.टन है, जो जांच अवधि के दौरान भारत की कुल मांग के दोगुने से भी अधिक है। चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक उल्लेखनीय निष्क्रिय क्षमता के साथ कार्य कर रहे थे और उन्होंने 42,000 मी.टन का अतिरिक्त क्षमता विस्तार किया है। ये कारक भारतीय बाजार की तुलना में चीन जनवादी गणराज्य में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता को दर्शाते हैं।
- xvi. चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक निर्यात अभिमुख हैं, क्योंकि फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के मामले में 30-40% उत्पादन और रिका टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के मामले में 20-30% उत्पादन निर्यात प्रयोजन के लिए है। यह निर्यात अभिमुखता, विशेष रूप से पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

- xvii. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से यह प्रकट होता है कि यदि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को इस चरण पर समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटन के जारी रहने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।
- xviii. भाग लेने वाले प्रयोक्ता द्वारा दाखिल की गई जानकारी के अनुसार, प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में 1% से कम की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।
- xix. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
- xx. घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, और घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता उस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है जो वर्तमान में संबद्ध देश से आयात द्वारा पूरी की जा रही है।

O. सिफारिश

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित की गई। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचित किया गया और उन्हें जांच के अधीन मामलों, जिनमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना तथा भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल हैं, पर जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखना अपेक्षित है।
152. चूंकि प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर उपायों को जारी रखने की सिफारिश की है, अतः प्राधिकारी प्रवृत्त शुल्क की मात्रा का पुनः परिमाणन करना उचित नहीं मानते हैं। प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त 2021 द्वारा लगाए गए और अधिसूचना संख्या 13/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 नवंबर 2023 द्वारा संशोधित निश्चित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित मानते हैं। शुल्क को उन्हीं दरों पर जारी रखने की सिफारिश की जाती है, सिवाय उन उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में, जिन्हें मूल जांच में व्यक्तिगत शुल्क दर प्रदान की गई थी किंतु जिन्होंने वर्तमान

निर्णायक समीक्षा जांच में प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है; ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों को अवशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया है।

153. प्राधिकारी, वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने के पश्चात, संबद्ध देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए आंकड़े के बराबर निश्चित शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक मानते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/ उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक/ निर्यातक	राशि (अमेरिकी डॉलर)	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790, 32071040, 32061110, 32061190	कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	फुजियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	299	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	3144	मी.टन	अमेरिकी डॉलर

3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य के अतिरिक्त कोई भी अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	3144	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
----	--------	--------	--	--------------------------	-------------------	------	-------	-----------------

नोट 1: ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

नोट 2: शुल्क तालिका के क्र.सं. 1 पर निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना नीचे दिए गए पैराग्राफ में निर्दिष्ट शर्त के अधीन है।

154. उपर्युक्त शुल्क तालिका के क्र.सं. 1 पर उल्लिखित उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान उसके नाम और पदनाम से की गई हो, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित तथा निम्नानुसार तैयार की गई घोषणा अंकित होगी:

‘मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत आने वाले, भारत को निर्यात के लिए बेचे गए कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ले इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स की (मात्रा) का विनिर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।’

155. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ‘किसी अन्य उत्पादक’ पर लागू अवशिष्ट शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

P. आगे की प्रक्रिया।

156. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ग और नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 22nd October, 2026

Case No. AD (SSR)-15/2025

**Sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of Natural Mica based
Pearl Industrial Pigments excluding Cosmetic Grade from China PR**



Pictorial Representation of the Product Under Consideration

F. No. 7/31/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) thereof,

1. Sudarshan Chemical Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duties on the imports of “Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding Cosmetic Grade” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration”) from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification F. No. 7/31/2025-DGTR, dated 5th March 2026, published in the Gazette of India, and initiated the sunset review investigation. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

A. BACKGROUND OF THE CASE

3. The original anti-dumping investigation was initiated vide notification no. 6/8/2020-DGTR dated 9th May 2020. Thereafter, the Authority recommended anti-dumping duty vide final findings File No. 6/8/2020-DGTR, dated the 8th June 2021, which was levied vide Notification No. 47/2021-Customs (ADD) dated 26th August 2021.
4. Thereafter, based on an application filed by the applicant alleging changed circumstances and need for enhancement of duties, the Designated Authority initiated a mid-term review investigation vide Notification No. 7/17/2022-DGTR dated 30th September 2022. The Authority, after concluding that there were changed circumstances, recommended the enhancement of duty vide final finding No. 7/17/2022-DGTR dated 27th September 2023. The Ministry of Finance implemented the amendment to the anti-dumping measures imposed in the original investigation vide notification No.13/2023-Customs (ADD) dated 22nd November 2023. The anti-dumping duties were in force till 25th August 2026. The Ministry of Finance has vide Notification No. 09/2026-Customs (ADD) dated 22nd May 2026 extended the anti-dumping duties by a period of three months up to 25th November 2026 and thereafter, vide Notification No. 21/2026-Customs (ADD) dated 21st

August 2026, further extended the duties by a period of three months up to 25th February 2027.

B. PROCEDURE.

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

5.1 Initiation

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
- ii. Upon examination of the application, the Authority found *prima facie* evidence of dumping and consequent injury. Therefore, *vide* Notification F. No. 7/31/2025-DGTR, dated 5th March 2026, the Authority initiated the present proceedings.

5.2 Period of investigation and injury period:

- iii. The period of investigation ("POI") was considered as 1st October 2024 to 30th September 2025. The injury period was set to cover the period 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the POI.

5.3 Import data

- iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management ("DG System") for transaction-wise import data of the product under consideration for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

5.4 Circulation of non-confidential version of the application

- v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject

imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

- vii. The Authority sent questionnaire to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

5.5 Intimation and participation by exporters of the subject country and users/importers of the product under consideration in India.

- viii. The Authority sent exporter questionnaires to the following known producers/exporters of the subject goods calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Name of interested party
a.	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited
b.	Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited
c.	Hebei Oxen New Material Company Limited
d.	Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd
e.	Jiangsu Pritty New Material Company Limited
f.	LB Group Company Limited
g.	Oxen Special Chemicals Company Limited Zhuhai Office
h.	Rika Technology Company Limited
i.	Shandong Huaan New Materials Company Limited
J.	Shaowu Yonghe Jintang New Materials Company Limited
k.	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd.
l.	Taixing Meilan New Chemical Company Limited
m.	Zhejiang Coloray Technology Development Company Limited
n.	Zhejiang Quhua Fluorine Chemical Company Limited
o.	Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited
p.	Zhejiang Sanmei Chemical Industry Company Limited

- ix. The following producers and exporters from the subject country have registered themselves as interested parties in the present investigation:

SN	Name of interested party
a.	Rika Technology Company Limited
b.	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited
c.	Henan Lingbao New Materials Technology Company Limited
d.	Henan Lingbao New Materials Company Limited

- x. The Authority sent importer questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

SN	Name of interested party
a.	Asian Paints Limited
b.	FX Pigments Private Limited
c.	Geochrome International
d.	Kajal Chemicals
e.	KPL International Limited
f.	Kuncai International India Pvt. Ltd
g.	Polychem Exports
h.	R.C. International

- xi. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers/users have registered themselves as interested parties in the investigation.

SN	Name of interested party
a.	Berger Paints India Limited
b.	Kansai Nerolac Paints Limited
c.	Kuncai International India Pvt. Ltd

- xii. In addition to the above, one association, namely, the Indian Paint Association has registered themselves as an interested party in the present investigation.

5.6 Public file

- xiii. The Authority made available the non-confidential versions of the submissions filed by various interested parties through the SETU portal, in the form of a public file.

5.7 Economic Interest Questionnaire

- xiv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire ("EIQ") to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Response to the economic interest questionnaire has been filed by the domestic industry, Berger Paints India Limited and Kansai Nerolac Paints Limited.

5.8 Oral hearing

- xv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 16th July 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvi. Supplementary questionnaires were issued to the participating producers/exporters, letters were issued to the users and the Indian Paint Association seeking certain clarifications. The replies received from the interested parties have been considered to the extent relevant.
- xvii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts under consideration were disclosed to the interested parties through a disclosure statement dated 21st August 2026, and the interested parties were given time till 28th August 2026 to offer their comments thereon. The comments received from the interested parties on the disclosure statement, to the extent considered relevant, have been examined and addressed in these final findings.
- xviii. The Central Government, vide Notification No. 09/2026-Customs (ADD) dated 22nd May 2026, extended the anti-dumping duty in force up to 25th November 2026 and, vide Notification No. 21/2026-Customs (ADD) dated 21st August 2026, further extended it up to 25th February 2027, pending the outcome of the present sunset review investigation.

5.9 Other procedural matters:

- xix. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.
- xx. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.
- xxi. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has

considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

- xxii. The Authority determined the non-injurious price ("NIP") for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the applicant. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP").
- xxiii. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purpose, in these final findings.
- xxiv. '***' represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 86.76 being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the POI. The same rate has been applied throughout these final findings (source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view>).

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

D.1 Submission by opposing interested parties

6. The opposing interested parties have made following submissions with regard to product under consideration and like article: -
 - i. The applicant has wrongly requested in its application to clarify that only cosmetic grade for cosmetic application is exempted from the duty imposed. The initiation notification has restricted itself to the original product rejecting the request of the domestic industry.
 - ii. The scope of the product under consideration attracts both the anti-dumping and countervailing duty measures.
 - iii. Article VI:5 clearly embodies the principle against double remedies, prohibiting overlapping trade remedy measures that compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
 - iv. Applicant's request to extend the scope of the anti-dumping duty to additional HS Codes beyond 3206 11 is misconceived as anti-dumping duty is imposed based on the product description and not on the basis of HS Codes.

D.2 Submission by domestic industry

7. The domestic industry has made following submission with regard to the product under consideration and like article: -

- i. The scope of the product under consideration is same as defined in the original investigation.
- ii. The product under consideration is natural mica-based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade. There are significant imports of cosmetic grade being imported for industrial application.
- iii. Applicant requested the Authority in mid-term review to clarify that only cosmetic grade for cosmetic application was exempted from the duty imposed. However, no such clarification was issued.
- iv. On the submission that the product under consideration attracts both anti-dumping and countervailing duty, only industrial form of the product attracts both forms of measures. No other form of mica pigment enjoys both measures.

D.3 Examination by the Authority.

8. The scope of the product under consideration in the final finding of original investigation was defined as:

“7. The product under consideration in the present investigation is “Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade”.

8. The product under consideration is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/shining frosted effects, such pearlescent effects, metallic effects, for coating, inks and plastics application.”

9. None of the parties which have participated in the present investigation have requested any exclusion. Therefore, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original finding.
10. It has been claimed by the interested parties that the product under consideration attracts both anti-dumping duty and countervailing duty. It is seen that the Authority had earlier conducted a countervailing duty investigation on the imports of ‘Effect Pearlescent Pigments or Mica Pearlescent Pigments, excluding Effect Pigments for Automotive Applications’ originating in or exported from China PR. The investigation was initiated vide Notification No. 6/08/2024-DGTR dated 29th March 2024 with the Authority recommending imposition of countervailing duty vide final finding dated 28th March 2025 and the Ministry of Finance imposing countervailing measures vide Notification No. 04/2025-Customs (CVD) dated 26th June 2025. The

countervailing duty was enforced only in June 2025, and the duty period covers approx. 3 months of the period of investigation.

11. On the submissions of the HS codes to be considered for the purpose of recommendation of duty, the Authority notes that the subject goods are classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act under the subheading 320611. In the mid-term review, it was found that post imposition of antidumping duty, the product under consideration was also being imported under different HSN codes. The duties were therefore extended to HS codes - 3206 49 90, 3206 19 00, 3204 17 59, 3204 17 39, 3204 17 20, 3204 17 90 and 3207 10 40 also. The same codes have been considered for the present investigation.
12. The Authority notes the clarification provided by the applicant domestic industry on the scope of the PUC in anti-dumping and CVD investigation as mentioned in the following table below.

SN	Form of product	ADD	CVD
1	Natural	Industrial and automotive excluding cosmetic grade	Industrial and cosmetics excluding automotive application
2	Synthetic	None	Industrial and cosmetics excluding automotive application

13. The scope of the product under consideration differs between the anti-dumping duty and countervailing duty investigations. It is seen that the anti-dumping duty investigation covered the natural form of MICA pigment for industrial and automotive applications, while cosmetic grade was excluded. The CVD investigation covered natural forms of the product for industrial and cosmetic applications, with automotive applications excluded. Synthetic forms of the product are not covered under the ADD investigation, whereas the CVD investigation includes synthetic forms used in industrial and cosmetic applications, excluding automotive applications. Thus, the CVD investigation has a broader product scope by including synthetic forms and cosmetic-grade natural products, while excluding automotive applications. It cannot be considered that the entire basket of the product attracts both the forms of measures. A perusal of the note below the duty table in the final findings dated 28.03.2025 in CVD investigation makes it clear that there is no dual remedy. The relevant extract is reproduced below.

#For collection of anti-dumping/countervailing duty measures.

a. In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for industrial application, quantum of countervailing duty shall be equivalent to the difference between amount payable as per column (7) and antidumping duty payable as per customs Notification No. 13/2023-Cus (ADD), dated 22nd November 2023.

b. In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for cosmetic application, since no anti-dumping duty is payable, the quantum of countervailing duty shall be equivalent to the amount payable as per column (7).

c. In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for automotive application, no countervailing duty should be charged.

d. In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of synthetic grade other than for automotive application, since no anti-dumping duty is payable, the quantum of countervailing duty shall be equivalent to the amount payable as per column (7).

14. The applicant had proposed a PCN methodology. However, based on comments received from the interested parties, the PCN methodology was modified during the investigation and was clarified vide notice dated F. No. 7/31/2025-DGTR dated 16th April 2026. No interested party has filed any comments thereafter. The final PCN methodology adopted is provided below:

SN	Particulars	Particle Size*	Code
	Non-Automobile (N)		
1	Silver-1	Small (D50<17)- S	N1S
		Regular (D50 between 17-30) - R	N1R
		Large (D50>30)- L	N1L
		Special- X	N1X
2	Gold-2	Small (D50<17)- S	N2S
		Regular (D50 between 17-30) - R	N2R
		Large (D50>30)- L	N2L
		Special- X	N2X
3	Iridescent-3	Small (D50<17)- S	N3S
		Regular (D50 between 17-30) - R	N3R
		Large (D50>30)- L	N3L
		Special- X	N3X
4	Earth tones (Bronze/Copper /Maroon)-4	Small (D50<17)- S	N4S
		Regular (D50 between 17-30) - R	N4R
		Large (D50>30)- L	N4L
		Special- X	N4X
5	Others-5	Small (D50<17)- S	N5S
		Regular (D50 between 17-30) - R	N5R
		Large (D50>30)- L	N5L
		Special- X	N5X
	Automobile Application (A)		

1	Silver- 1	Small (D50<17)- S	A1S
		Regular (D50 between 17-30) - R	A1R
		Large (D50>30)- L	A1L
		Special- X	A1X
2	Gold- 2	Small (D50<17)- S	A2S
		Regular (D50 between 17-30) - R	A2R
		Large (D50>30)- L	A2L
		Special- X	A2X
3	Iridescent- 3	Small (D50<17)- S	A3S
		Regular (D50 between 17-30) - R	A3R
		Large (D50>30)- L	A3L
		Special- X	A3X
4	Earth tones (Bronze/Copper/ Maroon)-4	Small (D50<17)- S	A4S
		Regular (D50 between 17-30) - R	A4R
		Large (D50>30)- L	A4L
		Special- X	A4X
5	Others-5	Small (D50<17)- S	A5S
		Regular (D50 between 17-30) - R	A5R
		Large (D50>30)- L	A5L
		Special- X	A5X

15. It is noted that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, the Authority holds that the product produced by the domestic industry is 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING.

E.1 Submission by opposing interested parties

16. The opposing interested parties have made the following submissions: -
- The applicant is a regular importer of the product under consideration from China PR.
 - The applicant has imported from China PR during the period of investigation of original investigation, MTR investigation and current SSR investigation.
 - The Authority ought to direct disclosure of the import volumes of the product under consideration by the domestic industry during the period of investigation, as well as the reasons why such imports were made.

- iv. The Authority should prescribe the threshold for permissibility of imports by the applicant to qualify as domestic industry.

E.2 Submission by domestic industry

17. The domestic industry has made the following submissions: -
- The total imports of the product under consideration during the entire injury period amounted to only *** MT, of which merely *** MT were imported during the period of investigation.
 - These imports were undertaken solely for sample purposes and not for commercial sale.
 - The imports made by the applicant are only ***% in relation to own production.
 - Rule confers discretion upon the Authority to determine whether a producer constitutes the domestic industry notwithstanding that it has imported the product under consideration.
 - No specific quantitative threshold has been prescribed either under the Anti-Dumping Rules or in the Authority's consistent practice. The determination is necessarily based on the facts and circumstances of each case.

E.3 Examination by the Authority .

18. The present application has been filed by Sudarshan Chemical Industries Limited. The applicant is the sole producer of the product in India. The applicant has certified that it is not related to any producer of the product under consideration in the subject country or any importer in India. The applicant has imported the product from the subject country and provided the following information in the application. The same has also been verified from DG System transaction wise import data.

SN	Particulars	Units	2022-23	2023-24	2024-25	POI Oct 24-Sept 2025
1	Imported volume	MT	***	***	***	***

19. The table below shows the information on imports made by the applicant in relative terms in injury investigation period. It is seen that the imports made by the applicant are miniscule in relation to its own production and imports from the subject country.

SN	Particulars	Units	Total
1	Total import by applicant over injury period	MT	***
2	Total import volume from China	MT	***
3	Imports by applicant in relation to imports from China	%	<1%
4	Production by applicant	MT	***
5	Imports by applicant in relation to production	%	<1%

20. The other interested parties have claimed that the Authority should provide a threshold on permissibility of imports by the applicant to qualify as domestic industry. It is noted that neither the Customs Tariff Act, 1975 nor the Anti-Dumping Rules prescribe any quantitative threshold of imports beyond which a domestic producer would cease to qualify as the domestic industry. Rule 2(b) merely provides that a producer who is related to an exporter or importer of the allegedly dumped article, or who is himself an importer thereof, may be excluded from the scope of domestic industry only where the facts so warrant. Thus, determination is required to be made on the basis of the nature, extent and circumstances of the imports. It is required to be seen if the imports are in such volume that the applicant functions as a trader rather than a producer. The authorities have consistently considered (i) the quantum of imports in absolute and relative terms, (ii) the purpose and bona fide nature of the imports, (iii) whether the producer continues to be principally engaged in domestic manufacture or has assumed the role of an importer-trader, (iv) whether the imports contributed to the injury suffered by the domestic industry, and (v) whether the producer's primary economic interests continue to be aligned with domestic production rather than importation. The analysis is therefore required to be conducted based on the basis of facts of each case and not on the basis of any predetermined numerical threshold.
21. The Authority therefore holds that the applicant in the present investigation is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the anti-dumping rules.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS.

F.1 Submission by opposing interested parties

22. The opposing interested parties have made the following miscellaneous submissions.
- i. Hon'ble Supreme Court in the case of *Sarvesh Mathur v. Registrar General, High Court of Punjab and Haryana* recognized that access to justice requires litigants to be afforded the choice of participating in proceedings either physically or virtually through a hybrid hearing mechanism where necessary infrastructure exists.
 - ii. Trade remedy investigations, by their very nature, involve complex questions.
 - iii. These issues frequently require detailed factual explanations, extensive interaction with the Hon'ble Authority, and clarification of technical aspects through continuous dialogue during the hearing.
 - iv. Since the oral hearing was conducted on 16 July 2026, and the deadline to file written submissions was on 19th July 2026, the interested parties were effectively afforded only one working day (excluding the holidays) to prepare

- comprehensive written submissions dealing with the extensive oral arguments advanced by multiple interested parties during the hearing.
- v. The impugned timeline effectively deprives interested parties of a meaningful opportunity to present their case and is inconsistent with the principles of natural justice.

F.2 Submission by the domestic industry

23. The domestic industry has made the following submissions.
- i. The Authority introduced virtual hearings through Trade Notice No. 01/2020 during the COVID-19 pandemic, and the arrangement was extended vide Trade Notice No. 01/2021. Since then, virtual hearings have become the established practice in trade remedy investigations.
 - ii. Rule 6(6) does not prescribe the mode of conducting oral hearings. The conduct of hearings, including through video conferencing, is within the discretion of the Authority.
 - iii. The interested party has failed to demonstrate any prejudice caused by the virtual hearing. It was afforded adequate opportunity to make oral submissions, file post-hearing submissions, and submit rejoinders.
 - iv. The Authority granted the interested party (IPA) a substantial extension for filing its questionnaire response and also rescheduled the oral hearing at its request, with corresponding extensions for post-hearing and rejoinder submissions. Despite this, the interested party failed to place meaningful information on record.
 - v. The purpose of an oral hearing is to elaborate upon submissions already made during the investigation. Any new issues raised during the hearing could be addressed through rejoinder submissions.

F.3 Examination by the Authority.

24. Indian Paint Association has requested that the oral hearing be conducted in a hybrid mode wherein interested parties have option of participating in both physical and virtual mode. The interested party had relied upon the decision of Hon'ble Supreme Court in the matter of Sarvesh Mathur v. Registrar General, High Court of Punjab and Haryana and Mayur L. Desai v. State of Maharashtra to claim that where the infrastructure exists, denial of either mode of participation constitutes an unjustified restriction. The interested party has referred to issues such as the product under consideration, PCNs, dumping margin calculations, technical specifications, and confidential information as being complex requiring hybrid hearing.

25. The Authority notes that the Association advanced no submissions on product under consideration, PCNs, dumping margin calculations, technical specifications during the oral hearing or in its subsequent written submissions. Thus, the alleged complexity of the investigation does not demonstrate the necessity for a hybrid hearing. The Authority notes that while trade remedy investigations may involve complex issues, the complexity of the issues does not, by itself, warrant the conduct of hearings in a hybrid mode. The manner in which an oral hearing is conducted falls within the procedural discretion of the Authority, having regard to the efficient conduct of the investigation, administrative feasibility, and the principles of natural justice. The option of a hybrid hearing may be considered on a case-to-case basis where justified. In the present case, the Indian Paint Association has failed to establish any justification for conducting the hearing in a hybrid mode. The Authority is satisfied that all interested parties were afforded a full and reasonable opportunity to present their case through oral and written submissions. Accordingly, the Authority finds no merit in the request that the hearing should necessarily be conducted in a hybrid mode only.
26. The Indian Paint Association has claimed that the timeline provided for filing post-hearing written submissions was too short which has deprived the interested parties of a meaningful opportunity to present their case. The Authority notes that the investigation was initiated on 5th March 2026 and interested parties were required to file their questionnaire responses within the prescribed time. Upon requests made by the Indian Paint Association, the Authority granted extensions first up to 8th May 2026 and thereafter up to 11th May 2026. Despite the extensions granted, the Indian Paint Association did not file any questionnaire response.
27. The Authority further notes that the oral hearing was initially scheduled for 8 July 2026. At the request of the interested party, the hearing was rescheduled to 16 July 2026, and the revised timelines for filing post-hearing written submissions and rejoinder submissions were communicated through the notice dated 8th July 2026, which fixed 19th July 2026 as the date for written submissions and 26th July 2026 as the date for rejoinder submissions. The interested parties were thus made aware of the schedule eight days before the hearing and eleven days before the due date for written submissions, and had the intervening period to prepare their post-hearing written submissions. The Authority also notes that the purpose of post-hearing written submissions is to place on record the oral submissions advanced during the hearing and not to respond to the submissions of other interested parties. Any response to the submissions made by other interested parties is to be filed through rejoinder submissions, for which the deadline was 26th July 2026, seven days after the deadline for post-hearing written submissions. In these circumstances, the Authority finds that the interested parties were provided adequate opportunity to present their case, and the contention that insufficient time was granted for filing written submissions is without merit and is accordingly rejected.

28. A communication was also sent to the Indian Paint Association requesting to explain the reasons for not filing any response despite having twice sought extension of time, and to furnish the documents prescribed under Question 3 of Part-I (General Section) of the Economic Interest Questionnaire, including the minutes of the meeting in which it was resolved by the Association to participate in the present investigation on behalf of its members and the list of members who supported, opposed or remained neutral with regard to such participation, along with certain information relevant to the interest of the users stated to be represented by it. While the association has provided the information on by laws and memorandum of association, it has claimed that information on minutes of meeting along with the list of members who opposed or agreed to participate was not available at that stage as the custodian was not present in the country. The association claimed that it would provide relevant information when available. However, no such information has been furnished to date.
29. The user questionnaire responses and economic interest questionnaire responses of M/s Kansai Nerolac Paints Limited and M/s Berger Paints India Limited were filed on 11.05.2026 through the legal representative of the Association and were uploaded on the SETU portal under the registration of the Association. On examination, the responses were found to be materially incomplete. In the case of M/s Kansai Nerolac Paints Limited, the transaction-wise purchase details in Annexure-3 were filed without the particulars prescribed in the format, Annexure-5 did not cover the entire period and contained internally inconsistent figures, and Annexure-6 was filed without any data. In the case of M/s Berger Paints India Limited, none of the prescribed data annexures was filed, with a statement that the data was under compilation and would be submitted subsequently. Both responses further stated, at several places, that material aspects would be elaborated upon in the subsequent submissions of the Association; no such submissions were ever filed. Vide letter dated 10.07.2026, the companies were requested to clarify the capacity in which they were participating in the investigation and to provide the requisite information and clarifications. No response to the said letter has been received.

**G. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE,
EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

G.1 Submission by opposing interested parties

30. The opposing interested parties have not made any submissions with regard to normal value, export price and dumping margin.

G.2 Submission by the applicant

31. The domestic industry has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:

- i. China PR should be considered a non-market economy. Should it be contended that Article 15(a)(ii) of China PR's Accession Protocol has already ceased and therefore the same cannot be applied to the present case, Article 15(a)(i) is still applicable and must be considered for determination of normal value for China PR.
- ii. The obligation under 15(a)(i) of China PR's Accession Protocol requires the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied by the exporter.
- iii. Since Chinese producers are not entitled to market economy treatment, the Designated Authority should follow para 7 of Annexure I of the Rules for the determination of Normal Value.
- iv. Normal value has been determined by the applicant based on cost of production in India duly adjusted for selling general and administrative expenses.

G.3 Examination by the Authority

G.3.1 Normal value

32. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as determined in accordance with the rules made under sub-section 6);
- b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

33. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti- Dumping Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the

production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."

34. The following producers/exporters have registered as interested parties in the present investigation:

SN	Name of interested party
a.	Rika Technology Company Limited
b.	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited
c.	Henan Lingbao New Materials Technology Company Limited
d.	Henan Lingbao New Materials Company Limited

35. Henan Lingbao New Materials Technology Company Limited and Henan Lingbao New Materials Company Limited registered but did not file any exporter questionnaire response. Accordingly, a separate dumping margin for these producers has not been determined.
36. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO

Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

38. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) of China's Accession Protocol has expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under Article 15(a)(i) of the Accession Protocol requires the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
39. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have filed the supplementary questionnaire to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.
40. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
41. In the application filed before the Authority, the domestic industry had claimed normal value based on the price payable in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs, and profits.
42. None of the interested parties, including the domestic industry, have provided any information on record which would allow determination of normal value based on price or constructed value in a market economy third country, or price of exports from a third country to other countries, including India. It is seen that in the original and the midterm review investigation, the normal value was determined based on the price paid or payable in India duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs, and profits.
43. The Authority has therefore determined the normal value based on the price payable in India, having regard to the optimized cost of production in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs, and profits. Accordingly, PCN wise normal value has been determined.

G.3.2 Export price

i. Rika Technology Company Limited.

44. Rika Technology Company Limited (Rika) is a producer of the product under consideration in China and has directly exported the product under consideration to unaffiliated customers in India. The producer has exported *** MT of the product, under four commercial invoices, at an invoice value of *** USD.
45. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and related expenses, bank charges, VAT and credit cost and the same has been accepted. PCN-wise export price has been determined for the producer and the weighted average export price at ex-factory level is shown in the dumping margin table below.

ii. Fujian Kuncai Material Technology Company Limited

46. Fujian Kuncai Material Technology Company Limited (Kuncai) is a producer of the product under consideration in China and has exported the product under consideration to India, partly to unaffiliated customers and partly through its affiliated entity in India, which has resold the goods to unaffiliated customers in India. The producer has exported *** MT of the product at an invoice value of *** USD.
47. The Authority has examined the claim with reference to the transaction-wise data and has accepted the adjustments as claimed, except as under. First, for transactions where inland transportation was reported as nil on the ground that the goods were delivered to the port by the exporter's own vehicles, the Authority has considered a notional inland freight, determined as the weighted average of the inland transportation reported by the exporter itself for the remaining transactions, since the movement of goods from the factory to the port involves a cost irrespective of the ownership of the vehicle. Second, for conversion of the ex-factory price into US dollars, the Authority has instead applied the transaction-wise exchange rates recorded in the exporter's own listing.

iii. Non-cooperative producers/exporters

48. The net export price for the remaining producers has been determined by considering the facts available.

G.3.3 Dumping margin

49. Considering the normal value and the export price for the product under consideration as determined above, the dumping margin for the product under consideration from the subject country has been determined as below: -

Particulars	Unit	Kuncai	Rika	All other producers/exporters
Constructed normal value, weighted average	USD/MT	***	***	***
Net export price, weighted average	USD/MT	***	***	***
Dumping margin	USD/MT	***	***	***
Dumping margin	%	***	***	***
Dumping margin	Range (%)	30-40	40-50	60-70

50. It is seen that the dumping margin is more than *de-minimis* for the producers/exporters from China PR. Dumping from the subject country has continued.

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submission of the other interested parties

51. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and causal link:
- Cash losses of the domestic industry have turned into positive which clearly shows that the domestic industry has neither suffered any injury nor is there any likelihood
 - The installed capacity and capacity utilization of the domestic industry increased by 18% in the period of investigation as compared to the previous years.
 - The production of the domestic industry increased significantly in the period of investigation as compared to previous years.
 - The domestic sales of the domestic industry increased significantly in the period of investigation as compared to the base years i.e., by 60%.
 - The domestic industry was in net losses throughout the injury period despite both anti-dumping and CVD duties in force. It clearly shows that the imports from China PR is not a cause of injury. The domestic industry is facing injury on account of its internal inefficiencies.
 - As per the market intelligence of RIKA, imports of synthetic MICA increased by around 300% in the last four years. Demand for the product is being substituted by Synthetic MICA.
 - The capacity of the domestic industry increased significantly from 100 in the base year to 118 during the period of investigation. This has increased the cost

- of the domestic industry significantly and is the real cause of injury to the domestic industry.
- viii. The export sales of the domestic industry declined significantly from 104 in 2020-21 to 94 during the period of investigation.
 - ix. The domestic industry has suffered injury on account of the increase in the fixed cost per unit due to decline in production as export sales declined significantly.
 - x. The production of product under consideration of the domestic industry declined from 136 in 2024-25 to 127 during the period of investigation.
 - xi. Imports of the product under consideration from the subject country have consistently declined over the injury period.
 - xii. Applicant is an export-oriented manufacturer of the product under consideration, and its export volumes as per trends, have remained substantial throughout the injury period.
 - xiii. Import prices from China have increased in the period of investigation. The import prices stood at 5.19 lakhs (Rs/MT) in 2022-23, then increased to 5.69 lakhs in 2023-24, then declined to 3.42 lakhs in 2024-25, and then substantially rose to 6.16 lakhs in the period of investigation.
 - xiv. Had prices of imports from China been the determining factor in influencing the applicant's pricing decisions, the applicant's prices would be reasonably expected to have risen and fallen in tandem with the fluctuations of Chinese prices.
 - xv. Applicant's market share has increased from an indexed 100 in the base year to 139 in the period of investigation. On the other hand, the market share recorded by the subject country shows a fall from 100 in the to 53 in the period of investigation.
 - xvi. NSR is a voluntary business decision and depends on multiple factors including the cost of production. Mere presence of price undercutting, in itself, cannot be treated as a conclusive indicator of material injury or material retardation.
 - xvii. If the cost of production of the domestic industry is inefficient due to misallocation of expenses, internal deficiencies or other company-specific factors, it will lead to an inflated cost of production and thereby a higher selling price that is not in consonance with prevailing market norms.
 - xviii. Poor returns arising from the applicant's own voluntary capacity expansion decisions cannot be attributed to subject imports.
 - xix. Applicant's plants are not dedicated to the product under consideration and cost allocation across product specific lines needs verification.
 - xx. The applicant has strong export orientation as around 30%-40% of its produce is exported despite huge demand in the India market and protection of anti-dumping duty.
 - xxi. Domestic industry has provided that the volume of imports of product under consideration from China was 798 MT and in the demand between 10,000–

15,000 MT, Chinese imports constitute a mere 5-8% share. The small volume of imports cannot reasonably be regarded as the cause of any material injury suffered.

H.2 Submission of the domestic industry

52. The domestic industry has made the following submissions with regards to injury and causal link:

- i. The imposition of duty has allowed the domestic industry to survive in the domestic market. The domestic industry has invested in the product by expanding its capacity. Had the anti-dumping duty been not in force, the domestic industry would have been able to sustain in the domestic market. Therefore, continuation of anti-dumping duty is critical for the survival of the domestic industry.
- ii. Imports from the subject country declined following the imposition of anti-dumping duty, increased in 2024-25, and declined again during the period of investigation. Overall, imports have declined in both absolute and relative terms over the injury period.
- iii. Price undercutting by the subject imports continues to remain positive.
- iv. The domestic industry incurred losses in the base year due to a sharp increase in raw material costs without a corresponding increase in import prices. The subsequent mid-term review established that dumping had intensified.
- v. The existing anti-dumping duty has prevented further deterioration in the domestic industry's performance and enabled a partial recovery from injury.
- vi. The domestic industry expanded its capacity by adding a new production line in 2023-24. The available capacity is sufficient to meet the entire domestic demand; however, the plants also manufacture other mica-based pigments.
- vii. Production, domestic sales, and capacity utilisation have improved over the injury period, but the domestic industry continues to operate with substantial idle capacity, and production remains below installed capacity.
- viii. The domestic industry's market share has increased while the market share of subject imports has declined. Nevertheless, dumped imports continue to account for nearly 20% of Indian demand.
- ix. Although financial performance has improved over the injury period, the domestic industry continues to incur losses, with negative return on investment and profit before interest and tax. Cash profits have turned positive only in the period of investigation.
- x. The domestic industry has suffered losses exceeding ₹ *** crore during the injury period against net fixed assets of about ₹ *** crore, demonstrating its continued vulnerability to dumped imports.
- xi. Persistent losses have adversely affected the domestic industry's ability to generate returns, attract investment, and finance working capital

requirements. In the absence of continued protection, the likelihood of further financial deterioration is significant.

- xii. The anti-dumping duty has resulted in improvement in growth and volume parameters; however, price-related parameters continue to remain adverse, and the domestic industry has not achieved a sustainable recovery.
- xiii. Contrary to the submission of the interested parties, only 10-15% of the production has been exported by the domestic industry. The primary market for the domestic industry is domestic market.
- xiv. On the submission of the interested parties that the capacity expansion has led to injury, the capacity expansion happened in 2023-24, and the losses of the domestic industry declined thereafter. Had the capacity expansion been a cause of injury, the losses would have increased.

H.3 Examination by the Authority

- 53. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 54. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has considered all injury parameters and, thereafter, concludes whether injury to the domestic industry continues, or recur, in case the antidumping duty is ceased. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
- 55. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis

carried out by the Authority *ipso facto* addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

56. The Authority has also examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
57. The Authority notes that the domestic industry has recognized that with the imposition of anti-dumping duty, the domestic industry has been able to survive in the domestic market. Prior to the imposition of anti-dumping duty, the adverse effect of dumping was felt on both the volume and price parameters of the domestic industry. However, with the imposition of anti-dumping duty, the domestic industry has recorded improvement. It is considered that the legal requirement of an original investigation is different from the sunset review investigation. The requirement in a sunset review investigation is to examine whether the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Reference is drawn to the decision of CESTAT in the case of Kalyani Steel Limited vs Designated Authority 2006 (203) ELT 418 (Tri – Delhi), which has held that marginal improvement in some parameters on account of imposition of duty does not mean that the adverse effects of dumped imports are completely eliminated.
58. On the submission of the interested parties that the injury to the domestic industry has been caused due to the shifting of demand from Natural Mica (product under consideration) to Synthetic Mica (non-product under consideration), it is seen that the demand for the product (PUC) has increased when seen over the injury period. The domestic industry has also seen an increase in domestic sales. Had the demand shifted from Natural Mica to Synthetic Mica, the demand and the domestic sales of the domestic industry would have declined. Therefore, a possible decline in demand due to shifting from Natural Mica to Synthetic Mica cannot be a cause of injury to the domestic industry.
59. On the submission that the net selling price of the domestic industry is a voluntary decision and positive price undercutting cannot be considered a factor showing injury, the contention of the interested parties is misplaced. While the net sales realization is determined by the domestic industry, it is influenced by prevailing market conditions. Where the dumped imports are available at prices below the domestic industry's selling price, the domestic industry is constrained from increasing its prices to remunerative levels.
60. On the submission that poor returns arising from the domestic industry's capacity expansion cannot be attributed to dumped imports, it is noted that the domestic

industry undertook the capacity expansion to cater to growing domestic demand and achieve economies of scale. It is further noted that, despite the increase in production and capacity utilisation following the expansion, the domestic industry continues to incur losses and earn negative returns due to the continued presence of dumped imports. The losses were high in the period prior to capacity expansion and have declined post expansion, which shows that capacity expansion cannot be a cause of injury.

61. On the submission that the manufacturing facilities also produce other mica-based pigments which require verification, it is noted that the domestic industry has maintained product-specific cost records and allocated common costs using accepted cost accounting principles. The cost allocation methodology has been examined and verified by the Authority during the investigation. In the absence of any evidence demonstrating incorrect allocation, a mere allegation does not undermine the reliability of the injury analysis.
62. On the submission of the interested parties that the injury is due to high fixed costs due to the decline in export sales, it is seen that the production and export sales of the domestic industry have increased over the injury period and the losses suffered by the domestic industry have declined. Therefore, the contention of the interested parties cannot be accepted.
63. On the submission of the interested parties that the domestic industry has continued to incur losses despite the imposition of anti-dumping and countervailing duties, which demonstrates that such losses are not attributable to low-priced imports from China. It is noted that the scope of the product under consideration in the anti-dumping and anti-subsidy investigations is different. Both the anti-dumping and countervailing measures are applicable only to industrial-grade natural mica. Therefore, the claim that entire low-priced imports from China attract both anti-dumping and countervailing measures is incorrect. It is further noted that though the losses suffered by the domestic industry have declined during the injury period, the injury analysis undertaken below demonstrates that the landed price of the subject imports is below both the cost of sales and the selling price of the domestic industry. The Authority, therefore, notes that the subject imports have exerted price pressure on the domestic industry. It is also considered that the interested parties have not highlighted any factor which according to them could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the submissions are rejected.

H.3.1 Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

64. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports of the product from all sources.

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	125	153	160
2	Imports from subject country	MT	1,183	994	973	809
3	Import from other countries	MT	137	219	206	189
4	Demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	111	126	124

65. It is seen that the demand for the product has increased over the injury period, with a slight decline during the period of investigation compared to previous year.

b. Imports in absolute and relative terms

66. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG system import data. The information is as below:

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Imports from subject country	MT	1,183	994	973	809
2	Import from other countries	MT	137	219	206	189
3	Imports in relation to					
a	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	61	52	43
b	Indian consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	76	65	55
c	Total imports	%	***	***	***	***

67. It is seen that:

- i. Imports from the subject country have declined over the injury period, post imposition of anti-dumping duty.
- ii. With the imposition of anti-dumping duty, the imports in relation to production and consumption have also declined.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

68. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

69. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports for the period of investigation. Price undercutting has been compared based on PCN wise basis.

SN	PCN	Import volume (MT)	Landed price (Rs/MT)	NSR (Rs/MT)	Undercutting (Rs/MT)	Undercutting (%)
1	A1L	2.500	11,50,129	***	***	***
2	A1R	42.325	11,08,686	***	***	***
3	A1S	0.425	11,72,631	***	***	***
4	A2R	***	17,01,668	***	***	***
5	A2S	40.200	12,51,680	***	***	***
6	A3R	46.380	14,43,659	***	***	***
7	A4R	4.650	15,74,328	***	***	***
8	A4S	1.000	15,47,340	***	***	***
9	A5R	0.025	76,42,017	***	***	***
10	N1L	32.350	3,85,216	***	***	***

11	N1R	164.639	3,67,483	***	***	***
12	N1S	141.395	4,01,128	***	***	***
13	N2L	52.250	5,38,484	***	***	***
14	N2R	116.050	6,69,800	***	***	***
15	N2S	122.758	6,99,214	***	***	***
16	N3R	34.300	5,24,852	***	***	***
17	N4R	1.235	5,25,658	***	***	***
18	N5R	0.100	14,41,891	***	***	***
	Total / weighted average	808.957	6,52,269	***	***	10-20

70. It is seen that the price undercutting is positive.

b. Price suppression and depression

71. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were compared as below:

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Cost of sales of domestic industry	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	101	95	87
2	Selling price of domestic industry	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	98	97

72. It is seen that when seen over the injury period, both the cost of sales and selling price of the domestic industry have declined. While the cost has declined by 13 index points, the selling price has declined by 3 index points. The domestic industry has stated that the imposition of anti-dumping duty has allowed it to survive, and the losses have significantly declined. The domestic industry has been unable to achieve remunerative level and therefore, its prices are depressed.

I.3.1 Economic parameters of the domestic industry

73. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

74. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	118	118	118
2	Production - Total	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	137	151	149
3	Capacity utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	116	128	126
4	Production Like Article	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	137	159	159
5	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	125	153	160
6	Export sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	188	188	186

75. It is seen:

- The domestic industry has expanded capacity over the injury period. It has been stated that imposition of anti-dumping duty has allowed the domestic industry to increase capacity.
- The capacity utilisation of the domestic industry has increased over the injury period. The domestic industry is, however, operating with idle capacity despite there being sufficient demand.
- The production of the domestic industry has increased over the injury period.

- iv. The domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.
- v. The imposition of anti-dumping duty has allowed the domestic industry to improve its volume parameters.

b. Market share

76. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, subject country and other countries as under.

SN	Market share of	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	113	121	129
2	Subject country	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	76	65	55
3	Other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	145	120	111

77. It is seen that:

- i. The market share of the domestic industry has increased over the injury period.
- ii. The market share of the subject country has declined.
- iii. The market share for other countries has increased.
- iv. With the imposition of anti-dumping duty, the market share of the domestic industry has improved.

c. Profitability, cash profit and return on capital employed

78. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Profit/(Loss)	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	-100	-109	-78	-32
2	Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	-100	-136	-119	-51
3	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	-100	-144	-128	-47
4	Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	-100	-127	-103	40
5	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Index	-100	-86	-65	-24

79. It is seen that –

- i. The domestic industry has suffered financial losses over the entire injury period. However, the degree of losses has declined over the injury period.
- ii. The cash losses and losses before interest have also declined over the injury period. While cash losses have turned into cash profit, the profit before interest continues to remain negative.
- iii. The domestic industry's return on capital employed continued to remain negative over the injury period.
- iv. With the imposition of anti-dumping duty, the losses suffered have declined. However, the domestic industry continues to suffer financially. It has been stated by the domestic industry that the imposition of anti-dumping duty has prevented further deterioration in its performance and enabled a partial recovery.

d. Inventories

80. The performance of the domestic industry has been examined in respect of inventory and is shown below.

SN	Stock	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Opening stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	73	166	312
2	Closing stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	229	241	286
3	Average Stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	139	198	301

81. The closing inventory with the domestic industry has increased sharply over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

82. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
1	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	114	129	142
2	No. of Employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	99	102	105
3	Productivity per day	MT/days	***	***	***	***
	Trend	Index	100	137	159	159
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	139	156	151

83. It is seen that the salaries and wages paid by the domestic industry and number of employees have improved over the injury period. Productivity per day and per employee has also increased over the injury period.

f. Growth

84. The table below shows the information on growth.

SN	Particulars	UOM	2023-24	2024-25	POI
1	Production – Like article	Y/Y	37%	15%	0%
2	Domestic sales	Y/Y	25%	22%	5%
3	Profit/(Loss) per MT	Y/Y	(-) 9%	29%	59%
4	Profit/(Loss) Rs lakhs	Y/Y	(-) 36%	13%	57%
5	PBIT in Rs lakhs	Y/Y	(-) 44%	11%	63%
6	Cash Profit in Rs lakhs	Y/Y	(-) 27%	19%	139%

85. It is seen that the domestic industry has recorded a positive growth in both volume and price parameters. While production and sales have improved, the domestic industry continues to remain in losses with the degree of losses declining over the injury period.

g. Ability to raise capital investment

86. It is seen that the domestic industry has increased its capacity. However, the domestic industry continues to remain in losses. While there are a large number of producers of other types of pigments in India, the domestic industry continues to remain the sole producer as the dumped prices continue to adversely affect the operations. The ability to raise capital investment or raise money for capital employed has been impacted.

h. Factors affecting the domestic prices.

87. The examination of imports data shows that the weighted average price undercutting is positive and the landed price of imports from the subject country is below the cost of sales of the domestic industry. There is no other producer in the domestic market and therefore, the domestic industry would price its product based on the prices offered by the exporters in the subject country. The landed price of imports from other countries is higher and therefore, the dumped imports from the subject country have affected the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping

88. The investigation has shown that dumping margin is positive and above *de-minimis level*. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India from the subject country.

j. Analysis on Injury

- a. Although the volume of imports from the subject country has declined during the injury period, the imports continue to remain significant in both absolute terms and relative to production and consumption, despite the anti-dumping duty being in force.
- b. The landed price of the subject imports is below the cost of sales of the domestic industry while the weighted average price undercutting is positive.
- c. The continued presence of dumped imports has prevented the domestic industry from increasing its prices to a remunerative level. Consequently, the domestic industry's selling prices continue to remain below its cost of sales.
- d. Following the imposition of anti-dumping duty, the domestic industry's production, sales, and capacity utilisation have improved. However, the industry continues to operate with substantial unutilised capacity.
- e. Inventories of the domestic industry have increased over the injury period.
- f. While the domestic industry's market share has improved, the subject imports continue to retain a significant share of the Indian market despite the anti-dumping duty.
- g. The domestic industry continues to suffer significant financial losses, negative return on capital employed, and inadequate cash profits.
- h. The domestic industry has recorded positive growth in volume-related parameters, accompanied by some improvement in price-related parameters. However, the price parameters continue to remain adverse and do not reflect a sustainable recovery.
- i. The dumped imports from the subject country continue to exert significant price depressing effects on the domestic industry, preventing it from recovering its costs and earning a reasonable return.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY**I.1 Submission of the other interested parties**

89. The other interested parties have made the following submissions with regards to likelihood of injury
- i. There is no likelihood of injury.
 - ii. RIKA Technology has undertaken miniscule capacity expansion.
 - iii. The mere existence of surplus production capacity in the subject country does not, by itself, establish that such capacity is likely to be directed towards the Indian market.
 - iv. The Applicant has failed to furnish any data or evidence regarding the bifurcation of the alleged surplus capacities between natural mica-based pearl

industrial pigments (which constitute the product under consideration) and synthetic mica-based pearl industrial pigments (which fall outside the scope of the PUC).

I.2 Submission of the domestic industry

90. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood of injury:

- i. China PR is the world's largest exporter of pearlescent pigments, supported by strong supply chains, raw material availability, and export incentives, including a 13% export tax rebate on pigments and pigment-based products.
- ii. China's proposed 15th Five-Year Plan promotes the chemical industry, new materials, industrial upgradation, and export-oriented growth, providing continued policy support to pigment producers.
- iii. Mica-based pearlescent pigments have been classified as a Strategic Emerging Industry under China's Classification of Strategic Emerging Industries (2023).
- iv. The Guidance Catalogue for the First Batch of Application Demonstration of Key New Materials (2024) identifies high-performance pigments as key new materials for industrial development and Guidance Catalogue for Industrial Restructuring (2024) categorizes pigments under the "Encouraged" category, reflecting continued government support.
- v. The 14th Five-Year Plan also recognizes the importance of the pearlescent pigment industry, as noted by the Authority in the countervailing duty investigation concerning effect pearlescent pigments.
- vi. Chinese producers have undertaken substantial capacity expansions, including Global New Material International (12,000 MT), Fujian Kuncai (20,000 MT), Rika Technology (8,000 MT), and Luohe Pearlescent New Materials (2,000 MT).
- vii. These capacity additions have been undertaken despite existing excess capacity and can be utilized to manufacture the product under consideration.
- viii. The Chinese pearlescent pigment market is projected to grow from approximately USD 391 million in 2024 to USD 758 million by 2033, indicating continued expansion of the industry.
- ix. Since the product under consideration does not have a dedicated HS code, the domestic industry has relied on Chinese export data under HS Code 320619 as the best available information to assess export trends.
- x. Analysis of third-country exports shows that approximately 99.7% of Chinese exports were dumped and injurious, while 81.7% were priced below the prices charged by Chinese exporters in India, indicating a strong likelihood of export diversion to India in the absence of duties.
- xi. China's exports of the relevant HS category have increased significantly, demonstrating the expanding export orientation of the Chinese pearlescent pigment industry and the likelihood of continued exports to India.

I.3 Examination by the Authority

91. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the anti-dumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
92. The present investigation is a sunset-review of duties imposed on the imports of the product under consideration. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
93. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, for factors which could be taken into consideration, viz.
 - i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article are being investigated.
94. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and in order to determine whether dumping is likely in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty. Additionally, the Authority has relied on all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.
95. On the submission of the interested parties that domestic industry has not provided segregated information on capacity expansion for the product under consideration, the Authority notes from the information filed by the participating producers (Appendix-1) from the subject country and the information filed by the domestic industry (Proforma IVA) that the plants for the product under consideration are not dedicated to produce effect pigment of a particular form (natural or synthetic) and effect pigment for a particular application (cosmetic, industrial or automobile). Both the domestic industry and the producers from China have reported production of

product under consideration and non-product under consideration. Therefore, the Authority considers that information on segregated capacity expansion may not be available. It is also recognized that the interested parties have not provided any information showing that the capacity expansions are not planned for non-product under consideration.

a. Continued dumping.

96. The table below shows the dumping margin determined in the original investigation, mid-term review investigation and the present review investigation.

SN	Particulars	Original investigation	Mid-term review	SSR
1	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	0-10%	10-20%	30-40%
2	Zhejiang Coloray Technology Development Company Limited	Not participated	70-80%	Not participated
3	Henan Lingbao New Materials Technology Company Limited	Not participated	70-80%	Not participated
4	Rika Technology Company Limited	Not participated	Not participated	40-50%

97. It is seen that the dumping from China has continued. The continuation of dumping in the current period shows the likelihood of dumping in event of expiry of measures.

b. Third country export below normal value.

98. The Authority has examined the third country exports of the participating producers to examine if the third country exports are below associated normal value. The analysis has been undertaken considering the PCN methodology adopted. The table below summarizes the information.

Particulars	Unit	Kuncai	Rika
Exports to third countries	MT	***	***
Exports below normal value	MT	***	***
Exports below normal value	%	85-95	90-100

99. It is seen that out of the total exports by Fujian Kuncai Material Technology Company Limited, 85-95% of third-country export volumes during the period of investigation are below normal value. In case of Rika Technology Company Limited, 90-100% exports are below normal value.

c. Third country export below non-injurious price.

100. The Authority has examined the third country's exports of the participating producers to examine if the third country exports are below non-injurious price. The analysis has been undertaken considering the PCN methodology adopted. The table below summarizes.

Particulars	Unit	Kuncai	Rika
Exports to third countries	MT	***	***
Exports below non-injurious price	MT	***	***
Exports below non-injurious price	%	70-80	90-100

101. It is seen that out of the total exports by Fujian Kuncai Material Technology Company Limited, 70-80% of third-country export volumes during the period of investigation are below the non-injurious price. In case of Rika Technology Company Limited, it is seen that 90-100% are below the non-injurious price. It is therefore considered that if the third country exports are diverted to the Indian market, they would enter the domestic market at injurious prices likely to cause material injury to the domestic industry.

d. Idle capacities.

102. The Authority has examined the Appendix 1 filed by the participating producers to examine if the producers in China are operating with idle capacities.

SN	Particulars	Capacity in MT	Production in MT	Idle capacity in MT
1	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	***	***	***
2	Rika Technology Company Limited	***	***	***

103. It is seen that the idle capacity with Kuncai alone is *** MT, which is more than twice the entire demand in India during the period of investigation.

e. Export orientation.

104. The Authority has examined the Appendix 1 filed by the participating producers to examine the export orientation of the producers in China.

SN	Particulars	Export sales in MT	Total sales in MT	Export orientation %
1	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	***	***	30-40
2	Rika Technology Company Limited	***	***	20-30

105. It is seen that data from both the participating producers shows that the producers are export oriented.

106. The domestic industry has highlighted new articles showing that faced with over capacity situation, China PR's pearlescent pigment industry is currently facing a structural oversupply problem. The domestic industry has highlighted the following capacity expansions: -

Company	Expansion
Global New Material International	12,000 MT
Fujian Kuncai Material Technology Company Ltd.	20,000 MT
Rika Technology Company Ltd.	8,000 MT
Luohe Pearlescent New Materials Company Limited	2,000 MT
Total expansion	42,000 MT

107. It is seen that the producers in China were already operating with idle capacity (as examined above). The producers have undertaken further capacity expansion.

108. The domestic industry has also highlighted that if the export data from China is examined, the exports from China have consistently increased. The table below shows the information provided by the domestic industry.

2022-Q2	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4
2,694	3,229	3,010	3,009	4,041	4,252	4,015
2024-Q1	2024-Q2	2024-Q3	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3
5,023	3,982	4,223	5,782	7,091	10,109	9,963

Source – Trademap data - 320619

109. The domestic industry has also provided evidence showing that the Government of China has recognized the pigment industry as emerging industry under which it will propose the upgradation of 'key industries' and accelerate the development of strategic emerging industrial clusters. The proposed outline of China PR's 15th Five-Year Plan focuses on the development of the pearlescent pigment industry.

110. Based on the foregoing analysis, it is evident that producers in China PR have been continuously expanding their production capacities with a strong export

orientation. A significant proportion of their production is intended for export markets, reflecting their increasing dependence on external demand. In the event of expiry of the existing anti-dumping duties, there is a strong likelihood that producers in China will utilize these capacities to target the Indian market, leading to a significant increase in imports into the Indian market.

J. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

111. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

112. It is noted that apart from the imports from the subject country, there were imports above de-minimis level from the European Union. However, imports from the European Union are priced significantly higher than the domestic industry prices and the import price from subject country. Therefore, imports from other countries are neither causing nor likely to cause injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

113. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. Therefore, a possible decline in demand is neither causing nor likely to cause injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices

114. It is seen that there is no restrictive trade practice which has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Development of technology

115. It is noted that information on record shows that technology for production of the product has not undergone any change. Therefore, development in technology is neither causing nor likely to cause injury to the domestic industry.

e. Export performance

116. The domestic industry has exported the product under consideration and these exports have increased. The Authority has considered segregated data for domestic

operations only. Therefore, the injury found above cannot be attributed to the export performance.

f. Performance of other products of the company

117. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products is neither causing nor likely to cause injury to the domestic industry.

g. Causal link between dumping and likelihood of injury.

118. The factors listed above clearly establish that with the cessation of anti-dumping duty, the domestic industry is likely to suffer continued injury.

- i. The imports from subject country are at dumped prices and the dumping has continued.
- ii. When seen on PCN wise basis, the imports from the subject country are entering the domestic market at prices below the domestic industry's cost and selling price.
- iii. As the imports are low priced, they continue to hold significant share in the domestic market. However, with the imposition of anti-dumping duty, the market share of dumped imports has declined.
- iv. As the imports have declined, the domestic industry has been able to increase its production and sales. The market share of the domestic industry has increased but it continues to operate with idle capacity.
- v. The domestic industry has suffered continued losses, but the losses have declined after the mid-term review.
- vi. As the imports are entering the domestic market at prices below the cost and price, they are causing and likely to further cause material injury to the domestic industry in event of expiry of measures.
- vii. The producers in the subject country are operating with idle capacities and export orientation. If the anti-dumping measures, expire, the producers in subject country will increase exports to Indian market.
- viii. The producers in subject country are undertaking further capacity expansion.
- ix. Government of China has considered the pigment industry to be of emerging industry and the proposed outline of China PR's 15th Five-Year Plan focuses on the development of the pearlescent pigment industry.
- x. There is a likelihood of injury to the domestic industry in event of expiry of measure.

K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

119. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for

comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

120. The landed value has been determined as the CIF value of exports to India, together with the applicable basic customs duty of 7.5 percent and social welfare surcharge thereon, aggregating 8.25 percent. For sales on FOB and CFR terms, the additions on account of ocean freight and insurance made by the exporters for constructing the CIF value have been retained as claimed.

121. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the product under consideration. The injury margin has been determined PCN wise and then weighted average injury margin has been determined. The injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

Particulars	Unit	Kunca	Rika	Any other producer
Quantity exported to India	MT	***	***	***
Non-injurious price, weighted average	USD/MT	***	***	***
Landed value, weighted average	USD/MT	***	***	***
Injury margin	USD/MT	***	***	***
Injury margin	%	***	***	***
Injury margin	Range (%)	10-20	20-30	30-40

L. INDIAN INDUSTRY INTEREST

L.1 Submission of the other interested parties

122. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to Indian industry's interest:

- i. India is the major supplier of the key raw material i.e., Natural MICA to China PR and therefore, continued imposition of antidumping duties will adversely impact the Indian exports of Natural MICA to China.
- ii. There is a demand and supply gap in the country.
- iii. Applicant enjoys an insulated monopoly position, shielded from both domestic and import competition.

- iv. The product is presently protected by anti-dumping duty imposed in the original investigation, and by a countervailing duty imposed on 28 March 2025.
- v. Applicant's own admission that its capacity is shared with other product lines undermines any claim of a supply-security rationale for continued protection.
- vi. Impact on the downstream Indian paint and coatings industry warrants a fresh assessment in the present review in view of the countervailing duty imposed.

L.2 Submission of the domestic industry.

123. The domestic industry has made the following submissions with regard to Indian industry's interest:
- a. The product under consideration is primarily used in paints. However, the product under consideration only goes as a colouring agent and is not a feedstock raw material.
 - b. The impact of anti-dumping duty is 0.27-0.5% in paint for automotive applications and 0.53-0.63% in case of paint for industrial application.
 - c. Capacity with the domestic industry is sufficient to cater the entire demand in India.
 - d. Anti-dumping duties were in force on imports of the product under consideration from the subject country. Despite the duties remaining in force, there is no public information indicating that downstream industries suffered any adverse impact.
 - e. Import prices from China are consistently and significantly lower than those from other sources across all PCNs. When consumers have purchased from other countries at high prices, it is evident that the anti-dumping duty on dumped imports of product under consideration cannot adversely affect them.

L.3 Examination by the Authority.

124. The Authority examined whether the continued imposition of the anti-dumping duty would be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties, including the domestic industry, foreign producers and consumers.
125. The Authority issued a gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including the possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the antidumping duty on the consumers, and the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.

126. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market.
127. On the submission of the interested parties that the domestic industry is an export-oriented unit and there is a demand and supply gap, it is noted that the capacity with the domestic industry is sufficient to cater to the demand in the country. Even though the domestic industry's plant is not dedicated for the product under consideration, it is seen that idle capacity with the domestic industry is sufficient to cater the demand being met by imports from the subject country. Therefore, the contention of the interested parties that there is a demand and supply gap cannot be accepted. It is also noted that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
128. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. The economic interest questionnaire was filed by the domestic industry and the users. However, the users have not quantified the impact of anti-dumping duty on downstream industry.
129. The Authority has examined the information filed in the user questionnaire response of M/s Kansai Nerolac Paints Limited, being the only user which has filed the prescribed data annexures, to the extent such information has been furnished, in order to determine the share of the product under consideration in the cost of the downstream product and the effect of the duty thereon. The position is as follows.

SN	Particulars	UOM	Value
1	Cost of the product under consideration consumed in the downstream product	Rs.	***
2	Total cost of sales of the downstream product	Rs.	***
3	Share of the product under consideration in the total cost of the downstream product (1/2)	%	5-10
4	Landed price of subject imports in the period of investigation	Rs./MT	6,52,269
5	Anti-dumping duty in force for M/s Fujian Kuncai Material Technology Company Limited, being the largest supplier in the period of investigation	US\$/MT	299
6	Anti-dumping duty at 1 US\$ = Rs. 86.76	Rs./MT	25,941

SN	Particulars	UOM	Value
7	Increase in the price of the product under consideration on account of the duty (6/4)	%	0-5
8	Increase in the total cost of the downstream product on account of the duty (3 x 7)	%	<1

130. It is seen that on the information filed by the participating user, the anti-dumping duty in force accounts for an increase of ***% in the total cost of the downstream product. The user has reported a profit of Rs. *** crore in the period of investigation, being ***% of its total cost of sales. The increase in cost attributable to the duty is thus a small fraction of the margin available to the downstream industry, and the anti-dumping duty would be of very low cost to that industry in the event the Authority considers it appropriate to extend the measures.

131. The domestic industry has separately quantified the impact of the anti-dumping duty on the downstream product on the assumption that the duty results in a price increase of 10% on a landed price of Rs. 667 per kg. The quantification filed by the domestic industry is reproduced below. The figures in the rows describing cost and impact are per litre of paint and the percentages are expressed on the price of the paint.

Automotive applications

Particulars	UOM	Bike	Car	Truck
Mica used in 1 litre of paint	Kg/litre	0.02-0.15	0.02-0.15	0.02-0.15
Price of paint	Rs./litre	500-2,000	500-2,000	500-2,000
Landed price of mica pigment	Rs./Kg	667	667	667
Cost of mica pigment in 1 litre of paint	Rs./litre	13-100	13-100	13-100
Cost of mica pigment as a share of the price of paint	%	2.67-5.00	2.67-5.00	2.67-5.00
Price increase assumed by the domestic industry (ADD)	%	10	10	10
Price increase assumed by the domestic industry	Rs./Kg	67	67	67
Impact of the duty on 1 litre of paint	Rs./litre	1-10	1-10	1-10
Impact of the duty as a share of the price of paint	%	0.27-0.50	0.27-0.50	0.27-0.50

Particulars	UOM	Bike	Car	Truck
Paint used in the vehicle (industry estimate)	Litre	0.5	4	8.5
Cost of paint in the vehicle	Rs.	250-1,000	2,000-8,000	4,250-17,000
Cost of mica pigment in the vehicle	Rs.	6.67-50.04	53.38-400.32	113.42-850.69
Impact of the duty on the vehicle	Rs.	0.67-5.00	5.34-40.03	11.34-85.07

Industrial applications

Particulars	UOM	Light machinery	Heavy machinery	Industrial tanks	Mining equipment
Mica used in 1 litre of paint	Kg/litre	0.02-0.15	0.02-0.15	0.02-0.15	0.02-0.15
Price of paint	Rs./litre	500-1,100	500-1,100	500-1,100	500-1,100
Landed price of mica pigment	Rs./Kg	667	667	667	667
Cost of mica pigment in 1 litre of paint	Rs./litre	13-100	13-100	13-100	13-100
Cost of mica pigment as a share of the price of paint	%	2.67-9.10	2.67-9.10	2.67-9.10	2.67-9.10
Price increase assumed by the domestic industry	%	10	10	10	10
Price increase assumed by the domestic industry	Rs./Kg	67	67	67	67
Impact of the duty on 1 litre of paint	Rs./litre	1-10	1-10	1-10	1-10
Impact of the duty as a share of the price of paint	%	0.27-0.91	0.27-0.91	0.27-0.91	0.27-0.91
Paint used in the equipment (industry estimate)	Litre	3	17	95	110

Particulars	UOM	Light machinery	Heavy machinery	Industrial tanks	Mining equipment
Cost of paint in the equipment	Rs.	1,500-3,300	8,500-18,700	47,500-1,04,500	55,000-1,21,000
Cost of mica pigment in the equipment	Rs.	40.03-300.24	226.85-1,701.37	1,267.69-9,507.67	1,467.85-11,008.88
Impact of the duty on the equipment	Rs.	4.00-30.02	22.68-170.14	126.77-950.77	146.79-1,100.89

132. It is seen that the impact of the anti-dumping duty on the downstream industry is insignificant on the information filed by the participating user as well as on the quantification filed by the domestic industry. It is also seen that the imposition of anti-dumping duties has allowed the domestic industry to survive in the domestic market. The domestic industry has recorded an improvement in volume parameters and the losses have declined. The anti-dumping measures have thus allowed the domestic industry to invest by expanding its capacity.

M. POST-DISCLOSURE COMMENTS

133. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 21st August 2026 and the interested parties were afforded an opportunity to furnish their comments within one week. Post-disclosure comments were received from the domestic industry and from the other interested parties, as recorded below. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final finding notification.

M.1 Comments of the other interested parties

134. The other interested parties have made the following submissions in response to the disclosure statement:

- i. Rika Technology Company Limited should be provided with individual duty considering the company being a new producer / exporter. The Authority has granted individual duty to new producers who have cooperated in sunset review countervailing duty investigation of *Textured Tempered Glass from Malaysia*.
- ii. The Authority has not examined the nature and circumstances of imports made by the applicant. The applicant has not provided any reasoning for importing the product under consideration from China PR and is accordingly ineligible to be considered as domestic industry.

- iii. The applicant has suffered injury, if any, on account of the increase in the fixed cost per unit due to decline in production as exports sales declined significantly.
- iv. Increase in capacity over the period of investigation has increased the cost of the applicant significantly and is the cause of injury to the applicant.
- v. Duties are in force on/off since 2005. This shows that the applicant industry is suffering on accounts of its inefficiencies and not due to imports from China PR.
- vi. In the absence of the non-confidential version of the Rejoinder Submissions not being circulated on the SETU Portal, in the event the applicant has filed its rejoinder submissions, the same ought to be disregarded on account of violation of the procedural mandate.
- vii. Expanding the scope of the duty table by expanding the HS Codes to be considered for the purpose of the recommendation of duty, from subheading 320611 earlier to 32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790 and 32071040 is beyond the scope of the present review.
- viii. The disclosure contains several statements that give a conclusive determination on the essential elements of sunset review, i.e., the existence of dumping, likelihood of injury and causal link.
- ix. The association's internal deliberations in the minutes of meeting contain confidential business information and details of ongoing investigations and litigation, which cannot be disclosed. The authorisation letter of the association is signed by its President and the questionnaire responses filed by two member companies, namely M/s Kansai Nerolac Paints Limited and M/s Berger Paints India Limited, demonstrate that its members are aware of and have authorised its participation in the present investigation.
- x. Despite significant fluctuations in subject import prices, the applicant's selling prices remained broadly stable, while its cost of sales declined by 13 index points, indicating that the marginal reduction in selling prices was attributable to its own cost structure rather than import price suppression.
- xi. With regard to the likelihood of continuation or recurrence of injury, the evidence relied upon by the Authority does not specifically address the product under consideration and broadly concerns the pearlescent pigments market.
- xii. Even assuming that capacity expansions have occurred with respect to the product under consideration, it does not substantiate the argument that those capacities are likely to be utilised for exports into India.
- xiii. The effects of the existing countervailing duty should be appropriately distinguished and decumulated from the effects attributable to dumping, so as to avoid the imposition or continuation of overlapping remedies in the present investigation.
- xiv. Concerns of demand-supply gap arise because, despite being the sole producer, the applicant is export-oriented.
- xv. The applicant is able to robustly compete with the very same Chinese producers in the export markets, that it claims to be causing injury to it, in the Indian market

- xvi. The Authority has not disclosed the data on the basis of which a rate of 22% has been assumed, on the average capital employed. The value adopted for the rate on capital employed, must be backed by historical rates of return in the relevant industry.

M.2 Comments of the domestic industry

135. The domestic industry has made the following submissions in response to the disclosure statement:

- i. The factors examined by the Authority in the disclosure statement show that the product under consideration has continued to be exported at dumped prices and has continued to cause injury to the domestic industry.
- ii. Had there been no dumped imports, the applicant could have produced and catered the entire domestic market. Dumping of the product is preventing the applicant from achieving the desired level of operations.
- iii. The factors examined by the Authority in the disclosure statement show that In the event of expiry of the existing anti-dumping duties, there is a strong likelihood that producers in China will utilize these capacities to target the Indian market, leading to a significant increase in imports into the Indian market.
- iv. Though there is some overlap in the scope of the present investigation and the scope of the product subject to countervailing duty measures, the issue on dual overlapping remedy has been addressed through the final findings and subsequent corrigendum issued in countervailing duty investigation on effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications originating in or exported from China PR.
- v. No evidence has been put forth by the users in the past as well as in the present investigation to demonstrate that the duties will adversely impact downstream industries. Continuing of the existing duties will not lead to any new or additional cost for users. These duties have already been in place for a few years and are already included in current market prices.
- vi. A duty for a period of 5 years is of utmost necessity since a shorter duration would not allow the applicant sufficient time to recover from the significant injury caused by the dumped imports.
- vii. Since the product under consideration is being imported under various codes, the Authority may specify these codes as well in the duty table. Further the Authority may also specify that the customs classification is indicative only.

M.3 Examination by the Authority

136. The Authority has examined the post-disclosure comments of the interested parties. It is noted that most of these comments are reiterations of the submissions made earlier, which have already been examined and addressed at the relevant places in these findings. The issues raised afresh, or requiring further examination, are addressed below.

137. With regard to the contention, reiterated by the other interested parties in their comments on the disclosure statement, that the time given after the oral hearing for making written submissions was short, the Authority notes that Rule 6 of the Rules requires interested parties who have participated in the oral hearing to supplement their oral submissions by written submissions within the prescribed time. The Authority, however, does not consider that the filing of post-hearing written submissions provides an additional opportunity to respond to or rebut the submissions made by other interested parties. The Authority has provided a separate opportunity for this purpose through the filing of rejoinder submissions. Thus, the procedural framework distinguishes between post-hearing written submissions, which place on record the party's own oral submissions, and rejoinder submissions, which provide an opportunity to respond to the submissions of other interested parties. The schedule for filing post-hearing written submissions and rejoinder submissions was notified to the interested parties on 8th July 2026, eleven days before the due date of 19th July 2026 for written submissions and eight days before the hearing itself, followed by a further period of seven days for filing rejoinder submissions, with the latter deadline being 26th July 2026. The Authority further notes that the post-hearing written submissions are intended to place on record the submissions advanced orally at the hearing, and that the Indian Paint Association did in fact file detailed written submissions on 19th July 2026 dealing with the issues it had raised. In these circumstances, the Authority considers that adequate opportunity was provided to all interested parties to place their submissions on record. The contention that Rule 6 permits interested parties to incorporate substantive rebuttals to the submissions of other parties in their post-hearing written submissions, notwithstanding the separately prescribed opportunity for rejoinder submissions, is therefore not accepted.
138. With regard to Rika Technology Company Limited's argument on being provided with individual duty considering the company being a new producer/exporter, the Authority notes that the present proceeding is a sunset review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, the purpose of which is to determine whether expiry of the existing anti-dumping measure is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The sunset review is therefore principally concerned with continuation or cessation of the existing measure and does not, merely by reason of participation and cooperation, require a fresh individual duty determination for producers/exporters which were not accorded an individual rate under the existing measure. The Authority further notes that Rika Technology Company Limited was not accorded an individual duty rate under the measure in force, and that the remedy available to a producer/exporter which has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation is a review under Rule 22 of the Rules, which may be sought upon satisfaction of the conditions prescribed therein. The Authority considers that there is no legal obligation to determine fresh quantum of duty at the stage of sunset review, as the relevant criteria at the stage of sunset review is the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

139. With regard to the comments concerning the nature of the imports made by the applicant, it has been submitted that such imports were not made for commercial sale or regular trading purposes. The Authority has examined the submissions and notes that the total quantity of imports made by the applicant was negligible, being less than 1% of the total imports from China of 809 MT during the period of investigation and less than 1% of the production of the domestic industry. In view of the negligible volume of such imports, the Authority considers that the imports made by the applicant are not of such a nature or magnitude as to render the applicant ineligible to be treated as part of the domestic industry.
140. With regard to the contention that the non-confidential version of the rejoinder submissions filed by the domestic industry was not placed on the SETU platform, the Authority notes that the rejoinder submissions were received within the prescribed timeline and were taken on record. The Authority further notes that, barring the interested party raising this contention, the other interested parties who filed rejoinder submissions also did not place the non-confidential version thereof on the SETU platform. The position is, therefore, not confined to the domestic industry alone.
141. The Authority considers that rejoinder submissions are, by their very nature, responses to the submissions already made by other interested parties, which had themselves been placed on record and made available to all interested parties. The purpose of a rejoinder is to assist the Authority in arriving at a fair determination on the issues already joined between the parties, and not to introduce a fresh case. The submissions of the domestic industry, including those made by way of rejoinder, to the extent found relevant, were set out in the disclosure statement issued on 21st August 2026 together with the examination of the Authority thereon, and all interested parties were afforded an opportunity to comment on the same. The interested party has availed of that opportunity and the present determination has been made after considering the comments so received. It is, therefore, not a case where the interested party has been denied an opportunity to respond to any submission of the domestic industry that the Authority has considered.
142. The Authority also observes that the non-confidential versions of the submissions filed on the SETU platform were available for inspection by all interested parties upon expiry of the timeline for filing of rejoinders, and it was open to the interested party to bring the matter to the notice of the Authority at that stage. The contention has, however, been raised for the first time by way of comments on the disclosure statement. In any case, the interested party has not demonstrated any prejudice caused to it on this account, inasmuch as the essential facts under consideration, including the submissions of the domestic industry relied upon, were disclosed to all interested parties through the disclosure statement and adequate opportunity was afforded to comment thereon. Accordingly, the submission does not merit acceptance.

143. With regard to the comments of the interested parties on considering a 22% return on capital employed methodology for calculation of non-injurious price, the Authority notes that Annexure III to the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. In the present case, no evidence has been provided by other interested parties that a return of less than 22% would be appropriate for the present case. The Authority also notes that Hon'ble CESTAT has upheld the practice of the Authority of applying a 22% return on capital employed in *Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority* and in *Perstorp Chemicals GmbH v. Designated Authority*. The Authority further notes that neither Annexure III to the Rules nor the consistent practice of the Authority requires the rate of return to be derived from the historical returns earned by the domestic industry concerned, and that the said rate has been uniformly applied across investigations. Therefore, the Authority finds it appropriate to adopt a return of 22% on the average capital employed for the purpose of determining the non-injurious price of the domestic industry.
144. With regard to the comments of the interested parties that the injury, if any, suffered by the applicant is attributable to the increase in fixed cost per unit on account of the expansion of capacity and to the decline in its export sales, the Authority notes that these contentions have already been examined in paragraphs 60 and 62 of these final findings.
145. With regard to the comments of Indian Paint Association that the minutes of the meeting where the association decided to participate in the investigation are confidential in nature and cannot be disclosed to the Authority, the Authority notes that the Economic Interest Questionnaire requires every association participating in an investigation to furnish the minutes of the meeting wherein the decision to participate was taken, along with the list of members who supported, opposed or remained neutral on the decision. The Authority notes that Indian Paint Association has claimed confidentiality in providing said minutes even to the Authority, leave aside making it available to opposing interested parties. The association did not file any response to the economic interest questionnaire, and at no stage before the issue of the disclosure statement did it claim that the information was confidential and therefore could not be provided. During the investigation, when the association was asked to provide the relevant information, its only explanation was that the information was not available because the custodian was out of the country, and it undertook to provide it when available. It did not do so thereafter and till date. The plea of confidentiality, raised for the first time after the disclosure statement, is therefore an afterthought and inconsistent with the association's own earlier stand. In any event, confidentiality does not, by itself, justify withholding information from the Authority. Rule 7 of the Anti-Dumping Rules permits information to be submitted on a confidential basis, subject to the requisite justification and provision of a non-confidential summary. The said confidentiality provisions are with regard to disclosure of information to other interested parties and does not apply to the information that is required to be provided to the Authority. Even if it wanted to claim confidentiality, the Association could have

furnished the relevant extracts of the minutes, with unrelated discussions redacted, as appropriate. The Authority also considers that the other material relied on does not establish authorisation by the members. The statement that president authorised the letter shows only the authority of an office-bearer. It does not show that the members resolved to participate in the present investigation. The questionnaire responses of M/s Kansai Nerolac Paints Limited and M/s Berger Paints India Limited show only that these two companies chose to participate individually. They say nothing about the views of the association's other members, or about how many supported, opposed or stayed neutral on participation. Since the association did not furnish the information despite specific opportunities, the Authority has been unable to verify the extent of its representativity. The Authority also notes that M/s Kansai Nerolac Paints Limited and M/s Berger Paints India Limited have filed user questionnaire responses containing materially incomplete information. Although the users have repeatedly contended that adequate time was not granted for filing post oral hearing written submissions, the Authority observes that the requisite questionnaire response has not been furnished adequately despite being granted sufficient extensions of time and repeated opportunities. Accordingly, the Authority concludes that the Indian Paint Association, M/s Kansai Nerolac Paints Limited and M/s Berger Paints India Limited have failed to fully cooperate in the investigation to the best of their ability.

146. With regard to the comments raised by the interested parties concerning the HS codes to be considered for the purpose of the present final finding, it is clarified that the scope of the product under consideration has been determined with reference to the HS codes identified and considered in the final finding notified vide F. No. 7/17/2022-DGTR dated 27th September 2023. Accordingly, for the purpose of the present final finding, only those HS codes which formed part of the aforesaid final finding have been taken into consideration.
147. With regard to the submissions of the interested parties that the evidence furnished by the domestic industry and relied upon by the Authority does not specifically relate to the product under consideration and, instead, broadly pertains to the pearlescent pigments market, the Authority has examined the submissions on record. The Authority notes that, in arriving at its conclusions, it has relied upon the information and evidence available before it, including the material submitted by the domestic industry. The interested parties have not placed on record any specific evidence or material demonstrating that the information relied upon by the Authority is inapplicable to the product under consideration. Further, the Authority has undertaken the requisite likelihood analysis, taking into consideration, inter alia, the responses and information furnished by the participating producers. Accordingly, the Authority does not find merit in the contention that the said information cannot be relied upon for the purposes of the present investigation.
148. With regard to the submission that the effects of the existing countervailing duty ought to be appropriately distinguished and decumulated from the effects attributable to dumping,

in order to avoid the imposition or continuation of overlapping remedies, the Authority notes that question of overlap between the two measures, including in relation to the scope of the respective products, has been examined and addressed in the final findings and the corrigendum issued in the countervailing duty investigation concerning effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications, originating in or exported from China PR, which set out the methodology adopted for imposition of the countervailing duty. The continuation of the anti-dumping duty recommended herein is to be given effect consistently therewith, so that the subject goods are not subjected to both duties to compensate for the same situation within the meaning of Section 9B(1)(d) of the Act. Accordingly, no further adjustment is warranted on this account in the present investigation.

149. With regard to the submission that anti-dumping duties have remained in force on and off since 2005 and that the condition of the domestic industry is attributable to its own inefficiencies, the Authority considers that the present investigation is the first sunset review investigation. The duties imposed in 2005 were extended for a further period of five years and had expired thereafter. There was a sufficient gap between the expiry and the imposition of duty in the original investigation in 2021. The Authority notes that every review is an independent proceeding required to be determined on the basis of the facts and evidence relating to the relevant period of investigation. The mere fact that measures have remained in force for a considerable period does not, by itself, preclude their continuation where the record establishes that the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority further notes that the improvement recorded in certain parameters of the domestic industry during the injury period is attributable to the measures in force, and that the domestic industry continues to suffer financially notwithstanding such improvement.

N. CONCLUSION

150. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made, and the facts available before the Authority as recorded above, and on the basis of the above analysis of dumping, injury and causal link, the Authority concludes that:
- i. The present sunset review investigation was initiated under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of the anti-dumping duty in force on imports of “*Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade*” originating in or exported from China PR, is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.
 - ii. The subject goods are classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 3206 11. Pursuant to the mid-term review, the duties were also extended to imports under subheadings 3206 49 90, 3206 19 00, 3204 17 59, 3204 17 39, 3204 17 20, 3204 17 90 and 3207 10 40, and the same codes have been

- considered in the present investigation. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
- iii. In order to ensure fair comparison between domestic and imported products and for establishing dumping, the Authority has adopted a PCN system and established dumping margin and injury margin by considering PCN wise data.
 - iv. The product produced by the domestic industry is 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.
 - v. The application for initiation of sunset review investigation has been filed by Sudarshan Chemical Industries Limited.
 - vi. The applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application has met the criteria of standing as per Rule 5(3).
 - vii. None of the producers/exporters from China PR filed market economy treatment questionnaire so as to rebut the presumption of non-market economy status. The normal value has accordingly been determined under Para 7 of Annexure I to the Rules on the basis of the price payable in India, having regard to the optimised cost of production in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs and profits.
 - viii. The dumping margin is positive and above the *de minimis* level for the producers/exporters from China PR.
 - ix. Imports from the subject country have declined over the injury period, post imposition of anti-dumping duty.
 - x. Imports from the subject country continue to undercut the prices of the domestic industry by 10–20%.
 - xi. The imposition of the anti-dumping duty has facilitated capacity expansion by the domestic industry. Although capacity utilisation has improved during the injury period, a substantial portion of the available capacity remains unutilised.
 - xii. The production and domestic sales of the domestic industry have increased during the injury period. The domestic industry has also gained market share during the period under consideration, following the imposition of the anti-dumping duty.
 - xiii. The losses incurred by the domestic industry have declined following the imposition of the anti-dumping duty.
 - xiv. If the third country exports of China PR are diverted to the Indian market, they would enter the domestic market at injurious prices likely to cause material injury to the domestic industry. In case of Fujian Kuncai Material Technology Company Limited, 70-80% of the exports to third countries are injurious and in case of Rika Technology Company Limited 90-100% exports are injurious.
 - xv. The idle capacity of Fujian Kuncai Material Technology Company Limited alone is *** MT, which is more than twice the total demand in India during the period of investigation. Producers in China PR were operating with significant idle capacity and have undertaken additional capacity expansions of 42,000 MT. These factors indicate the availability of substantial excess capacity in China PR relative to the Indian market.
 - xvi. The producers in China PR are export oriented as 30-40% production in case of Fujian Kuncai Material Technology Company Limited is meant for export purpose

and 20-30% production in case of Rika Technology Company Limited. This export orientation indicates the potential for increased exports to India particularly in the event of cessation of the anti-dumping duty.

- xvii. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and likelihood of continuation/recurrence of injury to the domestic industry in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
- xviii. On the information filed by the participating user, the anti-dumping duty in force accounts for an increase of less than 1% in the total cost of the downstream product.
- xix. The impact of the anti-dumping duty on the downstream industry is insignificant.
- xx. The capacity available with the domestic industry is sufficient to cater to the demand in the country, and the unutilised capacity available with the domestic industry is sufficient to meet the demand presently being met by imports from the subject country.

O. RECOMMENDATION

- 151. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the Act and the Rules. All interested parties were duly notified and were granted adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation of dumping and injury and impact of the measures on the Indian industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case for a further period of five years.
- 152. Since the Authority has recommended continuation of the measures on the basis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority does not consider it appropriate to re-quantify the quantum of duty in force. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of the definitive anti-dumping duty imposed vide Notification No. 47/2021-Customs (ADD) dated 26th August 2021 and modified by Notification No. 13/2023-Customs (ADD) dated 22nd November 2023. The duties are recommended to be continued at the same rates, except in respect of those producers/exporters who were accorded an individual duty rate in the original investigation but have not filed a questionnaire response in the present sunset review investigation; such producers/exporters have been accorded the residual duty.
- 153. The Authority, after examining submissions made by all interested parties in the present investigation, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duties equal to the figure indicated in Column 7 of the duty table below for a period of five (5) years from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

SN	Heading/ sub- heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer/ exporter	Amount (USD)	UOM	Currency.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790, 32071040, 32061110, 32061190	Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade	China PR	Any country including China PR	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	299	MT	US\$
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at SN 1	3144	MT	US\$
3.	-do-	-do-	Any other country other than China PR	China PR	Any producer	3144	MT	US\$

Note 1: The customs classification mentioned above is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

Note 2: The application of the individual duty rate specified at SN 1 of the duty table is subject to the condition specified in the paragraph below.

154. The application of the individual duty rate specified for the producer/exporter mentioned at SN 1 of the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'

155. If no such invoice is presented, the residual duty applicable to 'any other producer' shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

P. FURTHER PROCEDURE.

156. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975 and the relevant provisions of the Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority